सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

विशेष प्रतिवेदन

(सं०-08)

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(दिनांक 04 मार्च, 2025 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा

की

प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	क
2. प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	01–06
5. परिशिष्ट	07–77

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2024–2025) के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा — स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री राजू कुमार सिंह — स0वि0स0
2. श्री आबिदुर रहमान — स0वि0स0
3. श्री अनिरुद्ध कुमार — स0वि0स0
4. श्री प्रेम शंकर प्रसाद — स0वि0स0
5. श्री रामबली सिंह यादव — स0वि0स0
6. श्रीमती नीतु कुमारी — स0वि0स0
7. श्रीमती शालिनी मिश्रा — स0वि0स0
8. श्रीमती मीना कुमारी — स0वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1. श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्री संजीव कुमार	अवर–सचिव
4. श्री चंदन कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री पंकज कुमार राय	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री संजय कुमार–2	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

विभिन्न विभागों के नियम, उप–नियम, विधि, उप–विधि आदि की समीक्षा के क्रम में समिति ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भी नियम, उप–नियम, विधि, उप–विधि आदि की समीक्षा की। इसी दौरान समिति ने उदाहरण के लिए कुछ मामलों को लेते हुए विभागीय नियम, उप–नियम आदि के आलोक में अंचल स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसको जानने की कोशिश की और इसी क्रम में समिति बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–208 के तहत यह विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है।

समिति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड का हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने लगभग 50 सालों से चली आ रही समस्या का निदान समिति की पहल पर किया है।

समिति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहयोग के प्रति उनका आभार व्यक्त करती है।

बिहार विधान सभा की समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था, इसलिये मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ पूर्व में कई बैठकें हुई है और समिति ने अपना एक प्रतिवेदन भी सदन को समर्पित किया है लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर पर जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार समिति को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। समिति ने इस दृष्टिकोण से कुछ उदाहरणों के साथ पुनः बैठक प्रारम्भ की और उसमें विभिन्न बिंदुओं पर विभाग से जानकारी चाही। समिति के समक्ष जो छोटे–छोटे मामले आते गये समिति की बैठक में निर्णय लेकर उनको विभाग को भेजा जाता रहा। उसी से यह तो पता चलता रहा है कि समिति की मंशा को विभागीय मुख्यालय स्तर पर अच्छे तरीके से समझा गया और विभाग पूर्ण तत्परता से काम करता रहा, परंतु अंचल स्तर पर तत्परता का दूर–दूर तक कोई नामोनिशान नहीं दिखाई दिया।

सभा सचिवालय के पत्रांक 2330, दिनांक 09 जुलाई, 2024 (परिशिष्ट–01) द्वारा निम्न पांच बिंदुओं पर विभाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी :–

(1) पटना जिले के अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा समय–सीमा का पालन नहीं किया गया और एस0एम0एस0 नहीं भेजे जाने के लिए क्या कोई कार्रवाई किये जाने संबंधी विभागीय नियम/उप–नियम है ?

(2) गोपालगंज जिले के हथुआ के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्तिकर्ता के दाखिल–खारिज संबंधी कोई भी आवेदन या आपत्ति आवेदन के साथ कोई कागजात उपलब्ध कराया गया फिर उनके आवेदन पर कार्रवाई किस स्थिति में की गयी ?

(3) जिस केस संख्या–498/23 के आधार पर दाखिल–खारिज वाद को रिजेक्ट किया गया, केस की सूचना अंचलाधिकारी को कब और किस माध्यम से प्राप्त हुई तथा अंचलाधिकारी को उस मामले में पक्ष बनाया गया था ?

(4) समिति चाहेगी कि हथुआ अंचल में संबंधित विचाराधीन मामले की जांच एक कमेटी बनाकर करा ले ताकि वास्तविक रूप से अंचल कार्यालय के स्तर पर अधिनियम/नियम का पालन किस तरीके से हो रहा है उस पर एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर सकें ।

(5) सीवान जिले के गुठनी मौजा से संबंधित नोटिफिकेशन अखबार में प्रकाशित हुआ या नहीं, इसको वेरिफाई कर लें, बता दें और यदि प्रकाशन नहीं हुआ है तो प्रकाशन करा दें ।

उपर्युक्त बिंदुओं पर विभागीय पत्रांक 656, दिनांक 22 अगस्त, 2024 (परिशिष्ट–02) द्वारा उत्तर उपलब्ध कराया गया। पुनः सभा सचिवालय के पत्रांक 2784, दिनांक 28 अगस्त, 2024 (परिशिष्ट–03) द्वारा निम्नांकित दो बिंदुओं पर विभाग से प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी :–

(1) सारण जिले के सोनपुर अंचल के रसूलपुर मौजा, रसूलपूर हल्का के अंतर्गत भाग–7, पृष्ठ संख्या 34 की अद्यतन रसीद और जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है परंतु जब इस जमाबंदी से की गयी जमीन की बिक्री का ऑनलाइन दाखिल–खारिज के लिए आवेदन किया जा रहा है तो **Software** में लिखा आ रहा है **"Invalid seller jamabandi details"** तथा "आपके द्वारा चयनित जमाबंदी में दाखिल–खारिज किये जाने हेतु भूमि से संबंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है। कृपया पहले परिमार्जन के

माध्यम से "विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत" की जमाबंदी का सुधार करवायें। तत्पश्चात् भूमि के दाखिल–खारिज हेतु आवेदन करें।"

(2) इस तरह का मैसेज ऑनलाइन दाखिल–खारिज कराने के समय क्यों आ रहा है ? ऑनलाइन दाखिल–खारिज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करने पर ओ0टी0पी0 क्यों नहीं आ रहा है।

दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को हुई बैठक में विभाग द्वारा समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समिति प्रतिवेदन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुई। इसमें एक बिंदु सोनपुर अंचल से संबंधित था जिसके लिए विभाग ने आई0टी0 प्रबंधक को बैठक में भेजा था। आई0टी0 प्रबंधक द्वारा जिस तरह से जवाब दिया गया और संबंधित डीड अपलोड करने की कार्रवाई की गयी उससे स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि आई0टी0 मैनेजर और अंचल कार्यालय के ऑपरेटर की कहीं न कहीं मिलीभगत है जिसमें निश्चित रूप से अंचलाधिकारी की सहमति है। दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को हुई बैठक के आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक 2875, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (परिशिष्ट–04) द्वारा निम्न 15 बिंदुओं पर विभाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी :–

(1) Grievance ID No.-20242802007318 के बारे में आपने दिया है, डीड पहले ही दी जा चुकी है, उसका अद्यतन प्रतिवेदन।

(2) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अनुमान्य से ज्यादा समय कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है, इसके लिए क्या नियम में किसी कार्रवाई का प्रावधान है ?

(3) हथुआ अंचल से संबंधित मामले में अंचलाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिना पक्षकार बनाये अंचलाधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाना न्यायसंगत है या नहीं ?

(4) गोपालगंज जिले के हथुआ आंचल के समाहर्ता और भूमि सुधार उप–समाहर्ता का तीन वर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध करा देने के लिए कहा गया था, उससे संबंधित प्रतिवेदन।

(5) सीवान जिले के गुठनी मौजा के भू–अर्जन की विज्ञप्ति में खाता, खेसरा एवं रकबा अंकित होना चाहिए या नहीं ?

(6) आपके विभाग में कितने संवर्ग हैं, संवर्गवार किस–किस स्तर के पद स्वीकृत हैं ?'

(7) संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान है अथवा नहीं, यदि है तो क्या है ?

(8) सभी पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनी है या नहीं, बनी है तो नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद अथवा अधिनियम के तहत बनी है ?

(9) नियमावली सदन पटल पर रखी गयी अथवा नहीं, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखी गयी तो उसका औचित्य क्या है ?

(10) किस अधिनियम/नियमावली की किस धारा/नियम के तहत किसी कर्मी का वेतन बंद किया जाता है तथा उसकी प्रक्रिया क्या निर्धारित है ?

(11) दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 19 जुलाई, 2024 तक सभी जिलों/अनुमंडलों में किस–किस पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन बंद किया गया और वेतन बंद करने का आधार क्या रहा है ?

(12) वेतन बंद करने से पहले कोई जांच करायी गयी या नहीं और जांच का फलाफल क्या रहा ?

(13) जहानाबाद जिले में मोदनगंज में थाना नं0 538, खाता संख्या 149, प्लॉट संख्या 2460 तथा खाता संख्या 148, प्लॉट संख्या 2191 पर पंचायत सरकार भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोशिश हो रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(14) गया जिले के टेकारी अंचल के थाना नं0 169, खाता संख्या 309, प्लॉट नं0 1926, 1932, टेकारी नगर परिषद् वार्ड नं0 02, चिरैली मांझी टोला में पूर्व से बसे पर्चाधारियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(15) गया जिले के जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 31/2022–23 में दिनांक 14 मार्च, 2024 की बैठक में विभाग द्वारा बतलाया गया है कि जो गलत जमाबंदी कायम हुई है इसको जल्द–से–जल्द निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। छः माह बीत जाने के बाद भी गलत जमाबंदी निरस्त नहीं हुई है, से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

पुनः सभा सचिवालय के पत्रांक 2998, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 (परिशिष्ट–05) द्वारा निम्नांकित पांच बिंदुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी :

(1) सारण जिले के सोनपुर अंचल के रसूलपुर मौजा से संबंधित दाखिल–खारिज आवेदन संख्या–TEMP-117/2024-2025, 02 सितम्बर, 2024 एवं TEMP-118/2024-2025, 02 सितम्बर, 2024 को आई0टी0 मैनेजर, राजस्व विभाग द्वारा माननीय सभापति कक्ष में ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन करने के दौरान कुछ अड़चन दिखायी दी थी जिस पर समिति से पहले ही चिंता प्रकट की थी। दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को जब इसकी जांच की गयी तो पाया गया कि आवेदन विगत एक माह से कर्मचारी के स्तर पर लंबित है। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से जांच कर ले क्या यह नियमानुसार है ?

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जो जजमेंट/ऑर्डर से संबंधित साइट है वह पेज नहीं खुलता है। समिति को जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं–न–कहीं आई0टी0 मैनेजर और अंचलों में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर की शिथिलता से वेबसाइट पर पेज बाधित रहता है। विभाग इसकी भी जांच करा कर प्रतिवेदन दे ताकि समिति एक समग्र रूप से रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर सके।

(3) सीवान जिले के गुठनी मौजा से संबंधित विषय पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान को बैठक में भाग लेने हेतु सूचना दी जाय।

(4) मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल के ग्राम–दामोदरपुर (396), खाता संख्या 362, खेसरा संख्या 356 बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित हुई। कांटी अंचल के वाद संख्या 53459R-27/2021-22 के माध्यम से दाखिल–खारिज के लिए जब आवेदन दिया गया तो अंचल स्तर पर कहा गया कि आवास बोर्ड द्वारा जमीन का दाखिल–खारिज नहीं कराया गया है इसलिए आपके नाम दाखिल–खारिज नहीं हो सकता। इस पर विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जाय कि नियमानुसार इसमें अब कौन–सी कार्रवाई की जानी चाहिए और विभाग किस हद तक सक्षम है ?

(5) नालंदा जिले के थरथरी अंचल से संबंधित Grievance ID No.-24012389006458 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1208, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 (परिशिष्ट–06) द्वारा प्रत्येक बिंदु का विस्तृत उत्तर दिया गया। समिति ने जो प्रश्नावली भेजी थी उसके क्रमांक 9 में सदन पटल पर नियमावली रखने के बारे में जानकारी चाही थी, परंतु इतने दिनों की बैठकों के बाद भी विभाग को यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों को सदन पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

एक आश्चर्यजनक बिंदु समिति के संज्ञान में आया कि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अधिगृहित भूमि का दाखिल–खारिज नहीं हुआ है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल का यह मामला सर्वप्रथम समिति के संज्ञान में आया। गजट संख्या 29, दिनांक 01 जनवरी, 1975 द्वारा आवास बोर्ड के लिए भू–अर्जन किया गया, परंतु दाखिल–खारिज के लिए समय पर आवेदन नहीं किया गया। समिति की बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2020 में पहली बार मुजफ्फरपुर की जमीन के दाखिल–खारिज के लिए ऑफलाइन आवेदन किया गया जबकि उस समय ऑनलाइन आवेदन ही मान्य था। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपने पत्रांक 547, दिनांक 06 फरवरी, 2025 (परिशिष्ट–07) द्वारा यह स्पष्ट किया कि उसने कितनी बार दाखिल–खारिज के लिए आवेदन दिया। समिति तब इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस तरह की समस्या आवास बोर्ड की सभी जमीनों के लिए है।

यह दुखद है कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी थी तो आवास बोर्ड बार–बार ऑफलाइन आवेदन कर रहा था और उससे भी दुख है कि अंचलाधिकारी, कांटी द्वारा आवास बोर्ड के पदाधिकारी के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा था। दोनों ही सरकार द्वारा निर्धारित जनहित के काम करते हैं लेकिन पत्राचार और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना दोनों ही कार्यपालक अभियंता, आवास बोर्ड, मुजफ्फरपुर और अंचलाधिकारी, कांटी की कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

समिति ने बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड को इस काम की दुरूहता को देखते हुए निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर आपस में बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालकर समिति को प्रतिवेदन दें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड को समिति धन्यवाद देती है कि न सिर्फ दोनों विभागों ने दिनांक 04 फरवरी, 2025 को बैठक की बल्कि इस दीर्घकालिक बीमारी (Chronic Disease) का स्थायी हल भी निकाल दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए लॉग–इन आई०डी० (Log In ID) सृजित कर दी और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने उस पर सहमति व्यक्त करते हुए आवेदन करना स्वीकार किया। इस संयुक्त बैठक से संबंधित प्रतिवेदन भी समिति की बैठक में बिहार राज्य आवास बोर्ड तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है (परिशिष्ट–08)।

अतः समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचती है :–

निष्कर्ष

विभाग अपने स्तर से निश्चित रूप से तत्परतापूर्वक कार्रवाई करता है और लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े इसके लिए दिशा–निर्देश जारी करता है परंतु अंचल कार्यालय विभाग के इन प्रयासों को धता बताने के लिए कृतसंकल्प प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए सारण जिले के सोनपुर अंचल के दाखिल–खारिज के दो मामले सामने आये जिनमें आम और खास सूचना प्रकाशित कर दी गयी तथा उसकी आपत्ति की अन्तिम तिथि 02 दिसम्बर, 2024 रखी गयी। आम और खास सूचना तभी प्रकाशित की जाती है जब सभी दस्तावेज स्पष्ट और विधिवत हों परंतु बिना समय–सीमा का पालन किये स्वतः अंचलाधिकारी श्री राजकमल द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व 02 दिसम्बर, 2024 को ही उस पर आपत्ति बताकर आवेदक को 05 दिसम्बर, 2024 तक स्वयं उपस्थित होने की सूचना दी गयी। जब समिति ने इस मामले का संज्ञान लिया तो अंचलाधिकारी ने दाखिल–खारिज तो कर दिया लेकिन प्रतिवेदन देते समय अपने इस कृत्य के लिए नियमावली की आड़ ले ली और बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2011 के अध्याय–04 की धारा–5 की उपधारा–5 तथा अध्याय–5 की धारा–6 उपधारा–3 के तहत किया गया कार्य बताया। समिति ने दोनों ही उप–धाराओं को देखा परंतु कहीं से भी उनके कृत्य को इन दोनों ही उप–धाराओं से संरक्षण प्राप्त नहीं है।

अतः समिति निम्नांकित अनुशंसा करती हैं :—

अनुशंसा

(1) विभाग द्वारा जारी किये गये नियम, उप–नियम का दृढ़ता से पालन हो।

(2) विभागीय मुख्यायल में एक अनुश्रवण सेल बनाकर प्रत्येक माह कम–से–कम पांच अंचल के कार्यकलाप की गहन समीक्षा की जाय।

(3) सोनपुर के अंचलाधिकारी श्री राजकमल जहां भी पदस्थापित रहें, विभाग उनके कार्यकलाप की सतर्कता से निगरानी करे ।

अजीत शर्मा,

सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

संख्या प्र०वि०स०–11/2022–2330/वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09 जुलाई, 2024 (ई0)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 24 जून, 2024 को 12:30 बजे अपराह्न में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ हुई बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गयी है:–

1. पटना जिला के अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा समय–सीमा का पालन नहीं किया गया और एस0एम0एस0 नहीं भेजे जाने के लिये क्या कोई कार्रवाई किये जाने संबंधी विभाग नियम/उप–नियम है ?

2. गोपालगंज जिला के हथुआ के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्तिकर्ता का दाखिल–खारिज संबंधी कोई भी आवेदन या आपत्ति आवेदन के साथ कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया फिर उनके आवेदन पर कार्रवाई किस स्थिति में की गयी ?

3. जिस केस सं0 498/2023 के आधार पर दाखिल–खारिज वाद को रिजेक्ट किया गया, केस की सूचना अंचलाधिकारी को कब और किस माध्यम से प्राप्त हुई तथा अंचलाधिकारी को उस मामले में पक्ष बनाया गया था ?

4. समिति चाहेगी कि हथुआ अंचल से संबंधित विचाराधीन मामले की जांच एक कमिटी बनाकर करा लें प्रतिवेदन दें ताकि वास्तविक रूप से अंचल कार्यालय के स्तर पर अधिनियम/नियम का पालन किस तरीके से हो रहा है उस पर एक रिपोर्ट समिति सदन में प्रस्तुत कर सके।

5. सिवान जिला के गुठनी मौजा से संबंधित नोटिफिकेशन अखबार में प्रकाशित हुआ या नहीं, इसको वेरिफाई कर लें, बता दें और यदि प्रकाशन नहीं हुआ है तो प्रकाशित करा दें।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ सभा–सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–2

पत्रांक–10/सम0/वि0सभा (प्रत्या0 समिति)–12/2024–656–(10)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में

निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना 15, दिनांक 22 अगस्त, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2330, दिनांक 09 जुलाई, 2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 24 जून, 2024 को 12.30 बजे अपराह्न में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर सामग्री निम्नवत् है:–

प्रश्न–(1) पटना जिला के अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा समय–सीमा का पालन नहीं किया गया और एस0 एम0 एस0 नहीं भेजे जाने के लिये क्या कोई कार्रवाई किये जाने संबंधी विभागीय नियम/उप–नियम है ?

(2) गोपालगंज जिला के हथुआ के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्तिकर्ता का दाखिल–खारिज संबंधी कोई भी आवेदन या आपत्ति आवेदन के साथ कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया फिर उनके आवेदन पर कार्रवाई किस स्थिति में की गयी ?

(3) जिस केस सं0 498/2023 के आधार पर दाखिल–खारिज वाद को रिजेक्ट किया गया उस केस की सूचना अंचलाधिकारी को कब और किस माध्यम से प्राप्त हुई तथा क्या अंचलाधिकारी को उस मामले में पक्ष बनाया गया था ?

(4) समिति चाहेगी कि हथुआ अंचल से संबंधित विचाराधीन मामले की जांच एक कमिटी बनाकर करा लें प्रतिवेदन दें ताकि वास्तविक रूप से अंचल कार्यालय के स्तर पर अधिनियम/नियम का पालन किस तरीके से हो रहा है उस पर एक रिपोर्ट समिति सदन में प्रस्तुत कर सके।

(5) सिवान जिला के गुठनी मौजा से संबंधित नोटिफिकेशन अखबार में प्रकाशित हुआ या नहीं इसको वेरिफाई कर लें, बता दें और यदि प्रकाशन नहीं हुआ है तो प्रकाशित करा दें।

उत्तर–(1) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था। जाँच समिति द्वारा पत्रांक 59, दिनांक 05 जून, 2024 द्वारा अपना प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकों से प्राप्त दाखिल–खरिज से संबंधित वाद में जमाबंदी को अनलॉक किये

जाने की आवश्यकता थी और जमाबंदी अनलॉक किये जाने का कार्य भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पटना के स्तर से किया जाना था। दाखिल–खारिज वाद में प्राप्त आवेदनों पर अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अनुमान्य से ज्यादा समय कार्रवाई के अन्तर्गत लिया गया है।

आवेदन पर कार्रवाई के अन्तर्गत एस0एम0एस0 भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के लिए कार्रवाई किये जाने संबंधी कोई विभागीय नियम/उप–नियम नहीं है।

(2) समाहर्ता, गोपालगंज के पत्रांक 2175, दिनांक 05 जून, 2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आपत्तिकर्ता का आपत्ति आवेदन अंचल अधिकारी हथुआ, गोपालगंज के कार्यालय में उपलब्ध है। जाँच के क्रम में पया गया कि विषयांकित वाद में सन्निहित भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय गोपालगंज में विचाराधीन है। बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के अध्याय V (निपटारा), धारा–6 के उप–धारा (12) के अन्तर्गत होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल–खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में सक्षम न्यायालय में स्वत्ववाद लंबित हो।

(3) आपत्तिकर्ता के आपत्ति आवेदन में मामला व्यवहार न्यायालय गोपालगंज में विचाराधीन होने से संबंधित केस सं0 498/2023 का उल्लेख किया गया है। इस मामले अंचलाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। व्यवहार न्यायालय गोपालगंज में विचाराधीन वाद में वादी के रूप में आपतिकर्ता है एवं प्रतिवादि के रूप में भूमि के क्रेता है।

(4) बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय पदाधिकारियों यथा समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप–समाहर्ता के द्वारा अंचल कार्यालय के कार्यों का सतत् निरीक्षण किया जाता है। अंचल कार्यालय से संबंधित कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी के माध्यम से की जा रही है।

(5) सिवान जिला के गुठनी मौजा से संबंधित नोटिफिकेशन अखबार "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अंक में पृष्ठ सं0–7 में प्रकाशित हुआ है साथ ही अखबार "आज" के दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अंक में पृष्ठ–3 पर प्रकाशित हुआ है।

विश्वासभाजन,
अरूण कुमार सिंह,
अपर सचिव।

परिशिष्ट–8

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि/भू–खण्ड का फ्री–होल्ड किये जाने के पश्चात् दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी के संबंध में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति–यथा संलग्न</u>

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि/भू–खण्ड का फ्री–होल्ड किये जाने के पश्चात् आवंटियों को उनके नाम से दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन किये जाने के मामले की विभिन्न पहलुओं पर बैठक में विचार–विमर्श हुआ।

2. बैठक में किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि अथवा अधिग्रहण के पश्चात् फ्री–होल्ड की गई भूमि का दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन के संबंध में बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 तथा एतद् संबंधी निर्गत विभागीय अनुदेशों/परिपत्रों में सन्निहित संगत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

3. समीक्षोपरांत, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के पश्चात् इसके दाखिल–खारिज एवं जमाबन्दी सृजन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सर्वसम्मत् से बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये:–

I. अर्जित/अधिग्रहित भूमि का दाखिल–खारिज एवं जमाबन्दी सृजन हेतु निर्गत विभागीय पत्रांक 1319 (9), दिनांक 20 मई, 2024 के प्रावधानों के तहत अर्जन से संबंधित अभिलेखों यथा अधिघोषणा की प्रति/पंचाट की प्रति बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय को ऑनलाईन आवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा। एतदर्थ बिहार राज्य आवास बोर्ड हेतु सृजित Login Id से इसे विभागीय वेबसाइट https//biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सर्वप्रथम बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम की जाएगी।

II. पूर्व में अर्जित/अधिग्रहित भूमि/भू–खण्ड की जमाबंदी बिहार आवास बोर्ड के नाम से कायम हो जाने के पश्चात् उक्त फ्री–होल्ड भूमि का दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन की कार्रवाई के लिए नियमानुसार हितबद्ध आवंटियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

सधन्यवाद बैठक का समापन किया जाता है।

(ह0) अस्पष्ट,	(ह0) अस्पष्ट,	(ह0) अस्पष्ट,
निदेशक, चकबंदी	सचिव,	सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,	बिहार राज्य आवास बोर्ड,	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।	बिहार, पटना।	बिहार, पटना।

परिशिष्ट–3

संख्या प्र0वि0स0–03/2024–2784/वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 28 अगस्त, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सभा सचिवालय के पत्रांक 2743, दिनांक 13 अगस्त, 2024 के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 23 अगस्त, 2024 को 12:30 बजे अपराह्न में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि समिति की दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ पूर्व निर्धारित बैठक में निम्न बिन्दुओं पर अपर समाहर्ता, भूमि सुधार, सोनपुर एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर को प्रतिवेदन के साथ विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया जायः–

(1) सारण जिला के सोनपुर अंचल के रसूलपुर मौजा, रसूलपुर हल्का के अंतर्गत भाग–7, पृष्ठ संख्या–34 की अद्यतन रसीद और जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है परंतु जब इस जमाबंदी से की गई जमीन की बिक्री के ऑनलाइन दाखिल–खारिज के लिए आवेदन किया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर में लिखा जा रहा है " **Invalid seller jamabandi details**" तथा "आपके द्वारा चयनित जमाबंदी में दाखिल–खारिज किये जाने हेतु भूमि से संबंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है। कृपया पहले परिमार्जन के माध्यम से "विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत" की जमाबंदी की सुधार करवायें। तत्पश्चात् भूमि के दाखिल–खारिज हेतु आवेदन करें "

(2) इस तरह का मैसेज ऑनलाइन दाखिल–खारिज कराने समय क्यों आ रहा है ? ऑनलाइन दाखिल–खारिज के लिये रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करने पर ओ0टी0पी0 क्यों नहीं आ रहा है ?

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराते हुये निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–4

संख्या प्र0वि0स0–03 / 2024–2875 / वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ हुई बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गयी है :–

(1) ग्रिवांस आई0 डी0 नंबर–20242802007318 के बारे में आपने दिया है, डीड पहले ही दिया जा चुका है, उसका अद्यतन प्रतिवेदन।

(2) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अनुमान्य से ज्यादा समय कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है, इसके लिए क्या नियम में किसी कार्रवाई का प्रावधान है ?

(3) हथुआ अंचल से संबंधित मामले में अंचलाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिना पक्षकार बनाये अंचलाधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाना न्यायसंगत है या नहीं।

(4) गोपालगंज जिला के हथुआ अंचल का समाहर्ता और भूमि सुधार उप–समाहर्ता का तीन वर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध करा देने के लिये कहा गया था उससे संबंधित प्रतिवेदन।

(5) सिवान जिला के गुठनी मौजा के भू–अर्जन की विज्ञप्ति में खाता, खेसरा एवं रकबा अंकित होना चाहिए या नहीं ?

(6) आपके विभाग में कितने संवर्ग है, संवर्गवार किस–किस स्तर का पद स्वीकृत है ?

(7) संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान है अथवा नहीं, यदि है तो क्या है ?

(8) सभी पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनी है या नहीं, बनी है तो नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद अथवा अधिनियम के तहत बनी है ?

(9) नियमावली सदन–पटल पर रखी गयी अथवा नहीं, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखती गयी तो उसका औचित्य क्या है ?

(10) किस अधिनियम/नियमावली की किस धारा/नियम के तहत किसी कर्मी का वेतन बंद किया जाता है तथा उसकी प्रक्रिया क्या निर्धारित है ?

(11) दिनांक 01 जुलाई, 2023 से दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक सभी जिलों/अनुमंडलों में किस–किस पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन बंद किया गया और वेतन बंद करने का आधार क्या रहा है ?

(12) वेतन बंद करने से पहले कोई जांच करायी गयी या नहीं और जांच का फलाफल क्या रहा ?

(13) जहानाबाद जिला में मोदनगंज में थाना नं0–538, खाता सं0–149, प्लॉट सं0–2460 तथा खाता सं0–148, प्लॉट सं0–2191 पर पंचायत सरकार भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोशिश हो रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(14) गया जिला के टेकारी अंचल के थाना नं0–169, खाता सं0–309, प्लॉट नं0–1926, 1932, टेकारी नगर परिषद् वार्ड नं0–02, चिरैली मांझी टोला में पूर्व से बसे पर्चाधारियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(15) गया जिला के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–31/2022–23 में दिनांक 14 मार्च, 2024 की बैठक में विभाग द्वारा बतलाया गया है कि जो गलत जमाबंदी कायम हुई है इसको जल्द–से–जल्द निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। छः माह बीत जाने के बाद भी गलत जमाबंदी निरस्त नहीं हुआ है, से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

अतः अनुरोध है कि वर्णित बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–5

संख्या प्र0वि0स0–07/2024–2998/वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

पटना, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सम्पन्न बैठक में लिये निर्णय के आलोक में समिति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड के साथ दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा स्थित विस्तारित भवन के समिति कक्ष में बैठक करेगी। जिसमें समिति द्वारा सभा सचिवालय के पत्रांक–2875, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) के साथ निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करेगी:–

(1) सारण जिला के सोनपुर अंचल के रसूलपुर मौजा से संबंधित दाखिल–खारिज आवेदन सं0–TEMP-117/2024–2025–02 सितम्बर, 2024 एवं TEMP-118/2024–2025–02 सितम्बर, 2024 को आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व विभाग द्वारा मा0 सभापति कक्ष में ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन करने के दौरान कुछ अड़चन दिखायी दी थी जिस पर समिति ने पहले ही चिंता प्रकट की थी। दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को इसकी जब जांच की गयी तो पाया गया कि आवेदन विगत एक माह से कर्मचारी के स्तर पर लम्बित है। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से जांच कर ले क्या यह नियमानुसार है ?

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जो जजमेंट/ऑर्डर से संबंधित साइट है वह पेज नहीं खुलता है। समिति को जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं–न–कहीं आईटी मैनेजर और अंचलों में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर की शिथिलता से वेबसाइट पर पेज बाधित रहता है। विभाग इसकी भी जांच करा कर प्रवितेदन दे ताकि समिति एक समग्र रूप से रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर सके ।

(3) सिवान जिला के गुठनी मौजा से संबंधित विषय पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को बैठक में भाग लेने हेतु सूचना दी जाय।

(4) मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के ग्राम–दामोदरपुर (396), खाता सं0 362, खेसरा सं0–356 बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आंवटित हुई। कांटी अंचल में वाद सं0 53459 R-27/2021–22 के माध्यम से दाखिल–खारिज के लिये जब आवेदन किया गया तो अंचल स्तर पर कहा गया कि आवास बोर्ड द्वारा जमीन का दाखिल–खारिज नहीं कराया गया है इसलिये आपके नाम दाखिल–खारिज नहीं हो सकता। इस पर विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जाय कि नियमानुसार इसमें अब कौन–सी कार्रवाई की जानी चाहिये और विभाग किस हद तक है ?

(5) नालंदा जिला के थरथरी अंचल से संबंधित Grievance ID Number-24012389006458 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

अतः अनुरोध है कि वर्णित बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराते हुए निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–6

पत्रांक 10/सम0/वि0सभा (प्रत्या0 समिति)–12/2024–1208(10)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में

निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना–15, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग––बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2875/वि0स0, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 पत्रांक 2998/वि0स0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पत्रांक 3333/वि0स0, दिनांक 15 नवम्बर, 2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर सामग्री निम्नवत है:–

प्रश्नावली–––(1) ग्रिवांस आई0डी0 नबंर–20242802007318 के बारे में आपने दिया है, डीड पहले ही दिया जा चुका है, उसका अद्यतन प्रतिवेदन।

(2) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अनुमान्य से ज्यादा समय कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है, इसके लिए क्या नियम में किसी कार्रवाई का प्रावधान है ?

(3) हथुआ अंचल से संबंधित मामले में अंचलाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिना पक्षकार बनाये अंचलाधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाना न्यायसंगत है या नहीं ?

(4) गोपालगंज जिला के हथुआ अंचल का समाहर्ता और भूमि सुधार उप–समाहर्ता का तीन वर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध करा देने के लिये कहा गया था उससे संबंधित प्रतिवेदन।

(5) सिवान जिला के गुठनी मौजा के भू–अर्जन की विज्ञप्ति में खाता, खेसरा एवं रकबा अंकित होना चाहिए या नहीं ?

(6) आपके विभाग में कितने संवर्ग है, संवर्गवार किस–किस स्तर का पद स्वीकृत है ?

(7) संवर्ग में प्रोन्नति का पदसोपान है अथवा नहीं, यदि है तो क्या हैं ?

(8) सभी पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनी है या नहीं, बनी है तो नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद अथवा अधिनियम के तहत बनी है ?

(9) नियमावली सदन पटल पर रखी गई अथवा नहीं, रखी गई तो उसकी तिथि और नहीं रखी गई तो औचित्य क्या है ?

(10) किस अधिनियम/नियमावली की किस धारा/नियम के तहत किसी कर्मी का वेतन बंद किया जाता है तथा उसकी प्रक्रिया क्या निर्धारित है ?

(11) दिनांक 01 जुलाई, 2023 से दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक सभी जिलों/अनुमंडलों किस–किस पदाधिकारी/कर्मचारी वेतन बंद किया गया और वेतन बंद करने का आधार क्या रहा है ?

(12) वेतन बंद करने से पहले कोई जाँच करायी गई या नहीं और जाँच का फलाफल क्या रहा ?

(13) जहानाबाद जिला में मोदनगंज में थाना नं0 538, खाता सं0 149, प्लॉट सं0 2460 तथा खाता सं0–148, प्लॉट सं0–2191 पर पंचायत सरकार भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोशिश हो रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(14) गया जिला के टेकारी अंचल के थाना नं0–169, खाता सं0–309, प्लॉट नं0–1926, 1932 टेकारी नगर परिषद् वार्ड नं0–02, चिरैली मांझी टोला में पूर्व से बसे पर्चाधारियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, से संबंधित प्रतिवेदन।

(15) गया जिला के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–31/2022–23 में दिनांक 14 मार्च, 2024 को बैठक में विभाग द्वारा बतलाया गया है कि जो गलंत जमाबंदी कायम हुई है इसको जल्द–से–जल्द निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। छः माह बीत जाने के बाद भी गलत जमाबंदी निरस्त नहीं हुआ है, से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर—(1) समाहर्ता, पटना के पत्रांक 7923, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत आई0डी0 नंबर–20242802007318 आवेदिका प्राणी देवी पिता–मुन्शी सिंह से संबंधित है। पटना सदर अंचल के मौजा–राजापुर में जमाबंदी सं0 1849 आवेदिका के नाम से ऑनलाइन था, परन्तु उक्त जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा था। तदोपरान्त आवेदिका के परिमार्जन आवेदन को दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को निष्पादित करते हुए जमाबंदी सं0 1849 में खाता, खेसरा एवं रकबा दर्ज कर दिया गया है। (अनुलग्नक क)

(2) फुलवारीशरीफ अंचल शहरी क्षेत्र है, जहाँ दाखिल–खारिज के मामलें काफी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके कारण दाखिल–खारिज के आवेदनों के निष्पादन में कभी–कभी अनुमान्य समय–सीमा का अनुपालन नहीं हो पाता है।

(3) समाहर्ता, गोपालगंज के पत्रांक 4369, दिनांक 15 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय अवर न्यायाधीश, गोपालगंज के न्यायालय मे स्वत्व वाद संख्या–498/23 में कहना है कि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–06 अंतर्गत अंचल अधिकारी को दाखिल–खारीज से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। इनका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। उक्त अधिनियम में अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित पक्ष को भूमि सुधार उप–समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करने का प्रावधान है।

(4) दिनांक 13 फरवरी, 2017 को मो0 नूरूल ऐन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ के द्वारा अंचल कार्यालय, हथुआ का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक–ख)। दिनांक 18 मई, 2023 को श्री सुनिल कुमार, अवर समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा अंचल कार्यालय, हथुआ का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक–ग)।

(5) समाहर्ता सिवान के पत्रांक 1454, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 से प्रवितेदित किया गया है कि राम जानकी पथ परियोजना एन0एच0–227ए सिवान गुठनी खण्ड के मौजा गुठनी के अधिग्रहण में आ

रही भूमि से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 05 फरवरी, 2024 को किया गया, जिसमें उक्त राजस्व ग्राम में अधिग्रहण में आ रहे भूमि की पूर्ण विवरणी खाता, खेसरा, रकबा अंकित करते हुए दर्शाया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन दिनांक 22 फरवरी, 2024 को किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक–NH-11011/71/2022–LA, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 में वर्णित प्रावधान एवं निदेशानुसार बारकोड का प्रकाशन किया जाना था जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र में किया गया। उक्त बारकोड को स्कैन करने के उपरान्त भारत का राजपत्र खुल जाता है, जिसे आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है अथवा अपने खेसरो की जाँच की जा सकती है (अनुलग्नक–घ)।

(6) इससे संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है (अनुलग्नक–च)।

(7) संवर्ग में प्रोन्नति का पदसोपान है, इससे संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है (अनुलग्नक–छ)।

(8) बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली–2010 (समय–समय पर यथासंशोधित), बिहार राजस्व कर्मचारी सेवा संवर्ग नियमावली–2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) प्रवृत है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत बनी है।

(9) कंडिका–08 में उल्लेखित नियमावली किसी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गठित न कर संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर गठित किया गया है।

(10) बिहार सेवा संहिता के नियम–60 के तहत कोई भी सरकारी सेवक समुचित प्राधिकार के बिना अपना मुख्यालय या कार्यालय नहीं छोड़ सकता है। इस नियम में यह भी प्रावधान है कि यदि यह समुचित प्राधिकार के अपना कार्यालय या मुख्यालय छोड़ देता है तो जिस अवधि तक वह अनुपस्थित रहता है, उस अवधि का वेतन उसे नहीं मिलेगा।

यदि "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर किसी भी कर्मी का वेतन रोका जाता है।

(11) विभागीय पत्रांक 537(4), दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है (अनुलग्नक–ज)।

(12) विभागीय पत्रांक 537(4), दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है (अनुलग्नक–झ)।

(13) समाहर्ता जहानाबाद के पत्रांक 3042, दिनांक 05 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मोदनगंज अंचल अन्तर्गत थाना नं0–538, मौजा–मोदनगंज (गोविन्दपुर), खाता संख्या–149, प्लॉट नं0–2460, गैर–मजरूआ आम भूमि है, जो किस्म जमीन डगर है। यह पंचायती राज विभाग के पत्रांक 8354, दिनांक 30 अगस्त, 2022 की कंडिका–5 के अनुरूप नहीं है (पंचायत सरकार भवन यथासंभव सरकारी गैर–मजरूआ/गैर–मजरूआ मालिक भूमि पर बनाया जायेगा, जिसका किस्म जमीन पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, भिण्ड, आहर, पईन, नहर, नाला, जंगल आदि न हो)।

मौजा मोदनगंज (गोविन्दपुर) अन्तर्गत थाना नं0 538 में खाता संख्या–2191, रकबा–31डी0 गैर–मजरूआ किस्म परती कदीम भूमि है। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए न्यूनतम 50डी0 भूमि की आवश्यकता है जो पंचायती राज विभाग के पत्रांक 8354, दिनांक 30 अगस्त, 2022 की कंडिका–II के अनुरूप नहीं है। इस कारण मौजा मोदनगंज (गोविन्दपुर) में ही खाता संख्या–307, खेसरा संख्या–1153, रकबा–50.72 डी0 भूमि का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

(14) समाहर्ता, गया के पत्रांक 3801, दिनांक 04 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है

कि टिकारी आंचल अंतर्गत मौजा–चिरेली थाना नं0–169, हाल सर्वे खाता सं0–309, प्लॉट सं0–1926, 1932 हाल सर्वे एवं CS खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। CS खतियान के अनुसार खाता–75, प्लॉट सं0–1546, रकबा–7.57 एकड़ के खतियानी रैयत विशुन प्रसाद मिश्र, पिता बंधु मिश्र का नाम इन्दराज है।

हाल सर्वे खाता सं0–309, खेसरा सं0–1926 एवं 1932 CS खतियान के अनुसार खतियानी रैयत रामातार मिश्र बगै़0, पिता–विशुन प्रसाद मिश्र का नाम इन्द्राज है। प्रश्नगत भूमि पर 19 परिवार बसे हुए है, जिनमें से 08 व्यक्तियों को BPPHT Act के अंतर्गत 1995–96 में वासगीत पर्चा निर्गत है।

प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा के संबंध खतियानी रैयत द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि सुधार उप–समाहर्ता, टिकारी के राजस्व न्यायालय में वाद सं0 81/2023–24 दायर किया गया है, जो निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान अंचल में यथास्थिति कायम है।

(15) समाहर्ता, गया के पत्रांक 3801, दिनांक 04 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 31/2022–23 अपर समाहर्ता, गया को राजस्व न्यायालय में दिनांक 02 नवम्बर, 2024 को बहस पर रखा गया है।

(2) बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2998/वि0स0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के संबंध में कहना है कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर सामग्री निम्नवत् है:–

प्रश्नावली—(1) सारण जिला के सोनपुर अंचल के रसुलपुर मौजा से संबंधित दाखिल–खारिज आवेदन संख्या–TEMP-117/2024–2025, 02 सितम्बर, 2024 एवं TEMP-118/2024–2025, 02 सितम्बर, 2024 को आई0टी0 मैनेजर, राजस्व विभाग द्वारा माननीय सभापति कक्ष में ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन करने के दौरान कुछ अड़चन दिखाई दी थी जिस पर समिति ने पहले ही चिंता प्रकट की थी। दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को इसकी जब जाँच की गई तो पाया गया कि आवेदन विगत एक माह से कर्मचारी के स्तर पर लंबित है। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से जांच कर ले क्या यह नियमानुसार है ?

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जो जजमेंट/ऑर्डर से संबंधित साइट है वह पेज नहीं खुलता है। समिति को जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं–न–कहीं आई0टी0 मैनेजर और अंचलों में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर की शिथिलता से वेबसाईट पर पेज बाधित रहता है। विभाग इसकी भी जांच करा कर प्रतिवेदित दे ताकि समिति एक समग्र रूप से रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर सके।

(3) सिवान जिला के गुठनी मौजा से संबंधित विषय पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को बैठक में भाग लेने हेतु दी जाय।

(4) मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के ग्राम–दामोदपुर (396), खाता–362, खेसरा सं0–356 बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित हुई। कांटी अंचल में वाद सं0–53459 R-27/2021–22 के माध्यम से दाखिल–खारिज के लिए जब आवेदन किया गया तो अंचल स्तर पर कहा गया कि आवास बोर्ड द्वारा जमीन का दाखिल–खारिज नहीं कराया गया है इसलिए आपके नाम दाखिल–खारिज नहीं हो सकता। इस पर विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जाय कि नियमानुसार इसमें अब कौन–सी कार्रवाई की जानी चाहिए और विभाग किस हद तक है ?

(5) नालंदा जिला के थरथरी अंचल से संबंधित Grievanve ID Number-24012389006458 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर—(1) बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–4(8) में प्रावधानित है कि राजस्व कर्मचारी 07 (सात) कार्य दिवस के अंदर अपना मंतव्य प्रतिवेदन के साथ संबंधित अंचल निरीक्षक (संप्रति राजस्व अधिकारी) को प्रस्तुत करेंगे। वर्णित दाखिल–खारिज वादों में राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा का पालन नहीं किया गया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभागीय अनुशंसा समाहर्ता, सारण को प्रेषित की जा रही है।

(2) विभागीय वेबसाईट पर पेज बाधित रहने के संबंध में जांच की गयी। जांचोपरांत पाया गया कि किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जा रही है। साथ ही, वेबसाईट पर उपलब्ध ऑर्डर/जजमेंट संबंधी पेज सही तरह से कार्यरत है।

(3) विभागीय पत्रांक 1207 (10ए), दिनांक 21 नवम्बर, 2024 से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया है।

(4) बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–11 में प्रावधानित है कि दाखिल–खारिज के मामले में अंचलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर संबंधित भूमि सुधार उप–समाहर्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकते हैं। वर्णित दाखिल–खारिज को अस्वीकृत किया जा चुका है। इसलिए अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संबंधित भूमि सुधार समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जाना अपेक्षित है।

(5) अपर समाहर्ता, नालंदा के पत्रांक 7196, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तुत परिमार्जन गोपाली मिस्त्री से संबंधित है। मूल पंजी-II के अनुसार जमाबंदी ऑनलाइन में दर्ज है, जिसका नियमानुसार निष्पादन कर दिया गया है (अनुलग्नक–ट)।

अनु0ः–यथोक्त (प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित दस (10) प्रति)।

विश्वासभाजन,
अरूण कुमार सिंह,
अपर सचिव।

अनुलग्नक–'क'

पत्रांक 4923 / रा0

पटना समाहरणालय, पटना

जिला राजस्व शाखा

प्रेषक

डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0,
समाहर्ता,
पटना।

सेवा में

अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय––बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित पूरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सबंध में।

प्रसंग––आपका पत्रांक 1029(10ए) / रा0, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 5760 / रा0, दिनांक 29 अगस्त, 2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में अंचलाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 10338, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 द्वारा बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित पूरक प्रतिवेदन निम्नरूपेण उपलब्ध कराया गया है :–

प्रश्न––पटना जिला के सदर अंचल से संबंधित Grivance ID No.-20242802007318 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर––प्रश्नगत परिमार्जन ID No.-20242802007318 आवेदिका प्राणी देवी, पिता–मुन्शी सिंह से संबंधित है। पटना सदर अंचल के मौजा–राजपुर में जमाबंदी सं0–1849 आवेदिका के नाम से ऑनलाइन था, परन्तु उक्त जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा था। तदोपरान्त आवेदिका के परिमार्जन आवेदन को दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को निष्पादित करते हुए जमाबंदी सं0–1849 में खाता, खेसरा एवं रकबा दर्ज कर दिया गया है।

अतः अंचलाधिकारी, पटना सदर से प्राप्त प्रतिवेदन की सानुलग्नक छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
चन्द्रशेखर सिंह,
समाहर्ता,
पटना।

पत्रांक 10338

कार्यालय अंचल अधिकारी, पटना सदर

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
पटना सदर।

सेवा में

अपर समाहर्ता,
पटना, (राजस्व)।

पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय—-बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है।

प्रश्न—पटना सदर अंचल से संबंधित Grievance ID Number-20242802007318 परिमार्जन आवेदन का अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर—प्रश्नगत पिरमार्जन आवेदन प्राणी देवी, पिता–मुन्शी सिंह से संबंधित है, मौजा–राजापुर, जमाबंदी सं0–1849 पर ऑनलाइन था परन्तु खाता, खेसरा एवं रकबा में शून्य प्रदर्शित हो रहा था उक्त खाता, खेसरा एवं रकबा को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु परिमार्जन आवेदन दिया गया था जिसका निष्पादन दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

सादर सेवार्थ समर्पित।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0), अस्पष्ट,
अंचल अधिकारी,
पटना, सदर।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Parimarjan

(A Portal for correction of incorrect entries in the digitized Jamabandi register).
(Acknowledgment Receipt)

Grievance ID (for future reference)	-	20242802007318
Name	-	प्राणी देवी
Mobile	-	6204703086
Email	-	rajukumarverma714@gmail.com
Address	-	Patna, राजधानी पैलेश शिवपुरी पटना।
Property Location	-	राजापुर, Patna Sadar, Patna
Grivance Subject	-	Rectification in Khata, Khesra, Chauhadi and Rakba. (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्टि खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार)।
Date of filing your grievance	-	02/20/2024 3:29:00 PM

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान :24 पृष्ठ संख्या : 3266 जमाबंदी संख्या : 1849 कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 212140000134007

जिला का नाम : Patna अनुमंडल नाम : Patna Sadar अंचल का नाम : Patna Sadar हल्का का नाम: Patliputra

मौजा का नाम : राजापुर होल्डिंग संख्या : N/A तौजी संख्या : 0 थाना नंबर: 9/3

प्राणी देवी, पिता / बाप / अबू–मुन्शी सिंह, जाति–भूमिहार

खाता सं०	प्लॉट / खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	से
3	765	0 ए 9.375 डि हे	पू० प० उ० द०	N/A	10	0
	कुल परिमान	0 ए 9.375 डि हे				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
00–01–01		2005	2006	0
24–11–07 17:31.20	07112405290051451355	2006–2007	2024–2025	180

उपरोक्त जमाबंदी के विरूद्ध दाखिल–खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

उपरोक्त जमाबंदी के विरूद्ध भूमि बंधक (Land Mortage) से सम्बंधित विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

जमाबंदी में किये गए बदलाव का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

उपरोक्त जमाबंदी के विरूद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें ।

अनुलग्नक–'ख'

पत्रांक–19

अंचल कार्यालय, हथुआ

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
हथुआ।

सेवा में

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
हथुआ।

दिनांक 15 अप्रील, 2017 (ई0)।

विषय––दिनांक 13 फरवरी, 2017 को अंचल कार्यालय, हथुआ का किए गए निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय ज्ञापांक 104/रा0, दिनांक 16 फरवरी, 2017 द्वारा प्राप्त कार्यालय निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भवदीय सेवा में भेजा जाता है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अंचल अधिकारी,
हथुआ।

मो0 नुरूल ऐन (बि0प्र0से0) भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज के द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2017 को अंचल कार्यालय, हथुआ का किए गए निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदनः—

क्र0 सं0	कंडिका सं0	अनुपालन हेतु बिन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ का मंतव्य।
1	2	3	4	5
1	8	पत्राचारः—प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के.........सभी कॉलम नहीं भरे गए हैं।	प्राप्त एवं निर्गत पंजी के सभी कॉलम भराने का प्रयास किया जा रहा है।	
2	9	कर्मपुस्तः—सभी लिपिकों का कर्मपुस्त......कुछ पत्र लंबित हैं।	कर्मपुस्त अद्यतन करने हेतु सभी लिपिकों को निदेश दिया गया है।	
3	11	लंबित पत्रों की पंजीः—पंजी संधारित......नहीं किया गया है।	लंबित पत्रों की पंजी को अद्यतन कराने का प्रयास किया जा रहा है।	
4	14	सेवापुस्तः—प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि सभी ....जिसके लिए पत्राचार किया गया है।	इस कार्यालय के पत्रांक 1427, दिनांक 31 दिसम्बर, 16 से सेवापुस्त की मांग सबंधित कार्यालय से किया गया है। श्री सुरेन्द्र सिंह, रा0क0 का सेवापुस्त आ चुका है। श्री राजू सिंह की सेवापुस्त हेतु स्मार—पत्र भेजा गया है।	
5	19	साप्ताहिक बैठक / समीक्षा पंजीः—अंचल में..........तैयार कर जिला राजस्व शाखा को भेजी जाय।	साप्ताहिक बैठक पंजी को अद्यतन तथा पूर्व रूप से लिपिबद्ध किया जाता है तथा अन्य निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।	
6	28	सी0डब्लू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 पंजीः— पंजी संधारित........... एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी भेजने का निदेश दिया गया।	इस कार्यालय के पत्रांक 319, दिनांक 21 अप्रील, 2017 के द्वारा तथ्य विवरणी अनुमोदनार्थ भेजा जा चुका है।	
7	32	अस्थायी भंडार पंजीः—पंजी संधारित..............प्रविष्टि नहीं की गई है।	अंचल नाजिर को अनुपालन हेतु निदेश दिया गया है तथा विधिवत् सामग्रियों की प्रविष्टि कराने का प्रयास किया जा रहा है।	

क्र0 सं0	कंडिका सं0	अनुपालन हेतु बन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हथुआ का मंतव्य।
1	2	3	4	5
8	44	लेखन सामग्री भंडार पंजीः– यह पंजी.....अद्यतन प्रविष्टि नहीं है।	लेखन सामग्री भंडार पंजी में क्रय किए गए लेखन सामग्रियों की प्रविष्टि अद्यतन की जा रही है।	
9	58	मांग पंजीः–इस कार्यालय में ....पंजी अद्यतन नहीं है।	मांग पंजी प्रभारी, अंचल निरीक्षक, हथुआ द्वारा अद्यतन कराया जा रहा है।	
10	61	पंजी V दाखिल–खारिज पंजीः–संधारित...........अद्यतन तथा त्रुटिरहित किया जा सके।	निदेश का अनुपालन हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में भी अनुपालन हेतु सभी राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया गया है।	
11	63	सड़क/पुलिया पंजीः–पंजी संधारित...........परन्तु अद्यतन नहीं है।	पंजी अद्यतन कराने हेतु प्रभारी अंचल निरीक्षक, हथुआ को निदेश दिया गया है। पंजी अद्यतन।	
12	65	खेसरा प्लॉट इन्द्रराज पंजीः– यह पंजी संधारित.................. प्रविष्टि इसमें नहीं की गई है।	अनुपालन हेतु प्रभारी अंचल निरीक्षक, हथुआ को निदेश दिया गया है, सभी खेसराओं की प्रविष्टि उक्त पंजी में कराया जा रहा है।	
13	68	लोक भूमि अतिक्रमण पंजीः– कार्यालय में लोक अतिक्रमण ..../अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराए जाने का निदेश दिया गया।	इस अंचल में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अतिक्रमण वाद की कार्रवाई प्रारंभ कर विधिवत सुनवाई की जाती है तथा विहित प्रावधान के तहत आदेश पारित कर लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।	
14	69	वासगीत पर्चा पंजीः–कार्यालय में बासगीत पर्चा......वासगीत पर्चा प्रपत्र जी0 निर्गत किया जाय।	साप्ताहिक बैठकों में समीक्षा के दौरान प्रश्रय प्राप्त रैयतों की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने हेतु इस अंचल के सभी राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया गया है। सूची प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	

क्र0 सं0	कंडिका सं0	अनुपालन हेतु बन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हथुआ का मंतव्य।
1	2	3	4	5
15	72	अभियान बसेरा:–............ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	इस अंचल में अभियान बसेरा के अन्तर्गत सर्वेक्षित कुल 89 परिचारों को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। अभियान बसेरा के तहत अन्य योग्य परिवारों की पहचान हेतु सभी राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया गया है।	
16	74	भू–लगान वसूली चालू वित्तीय वर्ष.......विभागीय शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।	विगत वित्तीय वर्ष–2016–17 में कुल.........रु0 लगान वसूली की गई है, जिसे संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया गया है।	
17	78	महादलित सर्वेक्षण पंजी:– कार्यालय में..........को भी निदेशित किया गया।	अनुगृहित किया गया साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में भी सभी राजस्व कर्मचारियों को एतद् संबंधी निदेश किया गया है।	
18	79	वक्फ बोर्ड, मठ मंदिर की जमीन पंजी:–इस कार्यालय में.................अद्यतन करने का निदेश दिया गया।	साप्ताहिक बैठक में सभी राजस्व कर्मचारियों को निदेशित किया गया है कि इस अंचल में स्थित वक्फ बोर्ड, मंदिर की भूमि की सूची खाता, खेसरा के साथ उपलब्ध करावें। सूची प्राप्त होते ही पंजी अद्यतन कर लिया जायेगा।	
19	80	अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ हल्का कार्यालयों का निरीक्षण:–निरीक्षण के क्रम में..............................वरीय पदाधिकारियों को भी अवगत कराई जाय।	विधि–व्यवस्था, भूमि विवाद, राजस्व संबंधी अन्य कार्यों में व्यक्तता के कारण हल्का पंचायतों का निरीक्षण नहीं किया जा सका है। चालू वर्ष में अधिक–से–अधिक हल्का पंचायतों का निरीक्षण किया जायेगा।	
20	81	पायलट प्रोजेक्ट राजस्व ग्राम का जमाबंदी कम्प्यूटराईजेशन:– इस अंचल में............................ पूर्ण किए जाने का निदेश दिया गया।	राजस्व ग्राम जैनन का सभी 241 जमाबंदियों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	

(ह0) अस्पष्ट,
अंचल अधिकारी,
हथुआ।

मो0 नूरूल ऐन, (बि0प्र0से0) भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हथुआ के द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2017 को अंचल कार्यालय, हथुआ का किए गए निरीक्षण टिप्पणी:–

1. परिचय–अंचल कार्यालय, हथुआ दिनांक 01 जुलाई, 1955 से कार्यरत है। इस अंचल के क्षेत्रफल 14660, 28 हेक्टेयर अर्थात् 149 वर्ग किलोमीटर है। यह अंचल पूर्व में विभक्त 9 हल्कों का विभाजन पंचायतवार किया गया है, जो 22 पंचायतों में विभक्त है। इस अंचल में कुल ग्रामों की सं0 109 है, जिसमें 5 ग्राम बेचिरागी है। इसका एक गाँव बदरजीमी अधिसूचित क्षेत्र मीरगंज में अवस्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस अंचल की कुल जनसंख्या 221804 है। यह कार्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय के भवन में कार्यरत है।

2. प्रभार–श्री धर्मनाथ बैठा, अंचल अधिकारी, हथुआ के रूप में दिनांक 12 मई, 2015 से पदस्थापित हैं। इनके पूर्व श्री दिव्य राज गणेश अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

3. स्थापना–इस कार्यालय में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अंचल निरीक्षक	1	–	1
2	प्रधान सहायक	1	1	–
3	लिपिक	4	3	1
4	राजस्व कर्मचारी	22	10	12
5	अंचल अमीन	1	1	–
6	जीप चालक	1	1	–
7	कार्यालय परिचारी	5	4	1

(क) अंचल कार्यालय में कार्यरत लिपिकों के बीच अंचलाधिकार द्वारा कार्य का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है:–

क्र0 सं0	सहायक का नाम	आवंटित कार्य
1	श्री नगनारायण प्रसाद यादव, प्रधान सहायक	अंकेक्षण, आवंटन एवं बजट, व्यय विवरणी, आदेश एवं निर्देश, विधि व्यवस्था निरीक्षण एवं भ्रमण C.W.J.C./M.J.C. विधि, बैठक एवं प्रतिवेदन, जनता दरबार/लोक शिकायत, निलाम–पत्र वाद, लोक लेखा समिति, सूचना का अधिकार, R.T.P.S बेदखली, 20–सूत्री, विधान सभा/लोक सभा प्रश्न, विविध वाद, खाता पुस्तिका एवं भू–कम्प्यूटराईजेशन, मकान किराया निर्धारण, पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।
2	श्री कपिलेश्वर कुमार सिंह, सहायक	कार्यालय स्थापना, चौकीदार स्थापना, प्रतिलिपि भू–दान लगान, निर्धारण जमाबन्दी सुधार, व्यावसायिक लगान, आम आदमी बीमा योजना, साहुकार अधिनियम, सरकारी भूमि का हस्तानान्तरण, भू–बन्दोबस्ती, न्यूनतम मजदूरी, राजस्व कचहरी, लगान निर्धारण, अतिक्रमण, सम्पूर्ण दाखिल–खारिज, सांख्यिक, विकास, भू–अर्जन, महादलित, भूमि का निबंधन शुल्क, पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।
3	श्री विरेश प्रसाद यादव, सहायक	नजारत, लेखन सामग्री शस्त्र निरीक्षण, योजना एवं विकास, धार्मिक न्यास, कब्रिस्तान, भंडार, अभिलेखागार, निर्वाचन, आपूर्ति, जमीन नापी, सैरात, सहाय्य, चलचीत, लगान वसूली, बासगीत पर्चा, विविध जाँच क्षतिपूर्ति, खनन, वाहन का रख–रखाव, पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।
4	श्री हरेराम यादव	आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, ओ0 बी0सी0, एल0पी0सी0, वंशावली/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र, पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

(ख) इस अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों के बीच अंचल अधिकारी द्वारा पंचायतों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है:-

क्र0 सं0	राजस्व कर्मचारी का नाम	आवंटित पंचायत का नामद
1	श्री प्रेमचन्द्र यादव	लाइन बाजार
2	श्री सुरेश राय	फतेहपुर, सेमराँव
3	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता	खैरटिया, एकड़गा
4	श्री भरत प्रसाद	कुसौधी
5	श्री राजू कुमार सिंह	पचफेड़ा, चैनपुर
6	श्री जय प्रकाश सिंह	कान्ध गोपी, मछागर जगदीश, हथुआ
7	श्री ब्रजकिशोर राय	सिंगहा, वरीरायभान, वरी ईशर
8	श्री सुरेन्द्र सिंह	सोहागपुर
9	श्रीमती निलिमा पाण्डेय	मछागर लछिराम, वरवाँ कपरपुरा
10	श्री ईश्वर प्रसाद	सवरेजी, रतनचक
11	श्री नुर म0 हुसैन	जिगना जगरनाथ, मटिहानी नैन, छाप एवं नगर पंचायत मीरगंज का वार्ड नं0-16

4. पूर्व निरीक्षण:-पूर्व में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है:-

क्र0 सं0	निरीक्षण पदाधिकारी का पदनाम।	निरीक्षण की तिथि।	निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि।	अनुपालन का तिथि।
1	समाहर्ता, गोपालगंज	11.05.2005	17.05.2005	25.06.2005
2	अनुमण्डल, पदाधिकारी, हथुआ।	23.05.2005	27.05.2005	06.08.2005
3	अपर, समाहर्ता, गोपालगंज	25.05.2005	29.07.2005	19.02.2007
4	अपर, समाहर्ता, गोपालगंज	11.01.2007	18.01.2007	13.11.2007
5	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हथुआ।	24.08.2006	17.10.2006	13.11.2007

अंचल अधिकारी, हथुआ के द्वारा एक पंचायत, कुसौधी का दिनांक 09 फरवरी, 2017 को निरीक्षण किया गया है।

5. स्टाफ पंजी-पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इसमें सभी कर्मियों का विवरण अंकित किया गया है।

6. प्रभार पंजी-पंजी संधारित एवं सत्यापित है। वर्तमान में कार्यरत सभी लिपिकों का कार्य तालिका इस पंजी में संधारित है।

7. अनुक्रमणिका पंजी-पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस पंजी में कुल 40 विषय अंकित हैं, जो अंचल अधिकारी, हथुआ द्वारा अनुमोदित है।

8. पत्राचार-प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के दो-दो पंजियाँ यथा, साधारण एवं महत्वपूर्ण अलग-अलग संधारित एवं सत्यापित है। इस कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्नवत है:-

क्र0	वर्ष	प्राप्त पत्र			निर्गत पत्र			अभ्युक्ति
		साधारण	मुख्य	योग्य	साधारण	मुख्य	योग	
1	2017	101	2	103	131	3	134	
2	2016	993	—	993	1425	38	1463	
3	2015	798	—	798	1344	51	1395	

पंजी के अवलोकन से विदित होता है कि प्राप्त एवं निर्गत पंजी के सभी कॉलम नहीं भरे गए हैं।

9. कर्मपुस्त– सभी लिपिकों का कर्मपुस्त संधारित एंव सत्यापित है। विगत वर्ष के लंबित पत्रों को लाल स्याही से वर्तमान पंजी में अंकित किया गया है। जिसमें कुछ पत्र लम्बित है।

10. संचिका गतिविधि–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

11. लंबित पत्रों की पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, लेकिन इसमें कोई प्रविष्टि नहीं किया गया है।

12. प्रतिवेदन एंव विवरणी चार्ट–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु इसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। बताया गया कि प्रत्येक माह जिला राजस्व शाखा, गोपालगंज से प्राप्त कार्यावली सं0 1 से 20 तक एवं स्थापना विवरणी आदि के साथ प्रत्येक माह ससमय प्रतिवेदन जिला को भेजा जाता है।

13. रक्षी संचिका–विभिन्न विषयों से संबंधित यथा राजस्वं, सहाय्य, अंकेक्षण प्रतिवेदन सूचना का अधिकार स्थापना आदि संबंधित विषयों के लिए अलग–अलग रक्षी संचिका संधारित है, जिसमें महत्वपूर्ण पत्रों को संचित किया गया है।

14. सेवापुस्त–प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि सभी सहायकों, राजस्व कर्मचारियों, अंचल अमीन एवं कार्यालय परिचारियों की सेवपुस्त अद्यतन सत्यापित है। बताया गया कि श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री राजू कुमार सिह राजस्व कर्मचारी की सेवापुस्त पूर्व पदस्थापन स्थान से अभीतक अप्राप्त है, जिसके लिए पत्राचार किया गया है।

इस अंचल में कार्यरत ग्रामीण पुलिस (चौकिदारों/दफादारों) की कुल सं0–50 है जिसमें से 47 चौकिदारों की सेवापुस्त खोली गई है। बताया गया की 40 चौकिदारों की सेवापुस्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की लाभ की स्वीकृति हेतु जिला मुख्यालय में भेजी गई है। शेष 7 चौकिदारों की सेवापुस्त कार्यालय में उपलब्ध है जो अद्यतन सत्यापित है। नवनियुक्त 3 चौकिदारों की सेवापुस्त अभी नहीं खुली है।

15. भविष्य निधि पासबुक पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। परन्तु इसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। बताया गया कि जिला भविष्य निधि कार्यालय कम्प्यूटराईज हो चुका है, अब पासबुक की आवश्यकता नहीं है।

16. वेतन वृद्धि पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, लेकिन इसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। बताया गया कि सेवापुस्त में सभी संबंधित कर्मियों का देय अद्यतन वेतन वृद्धि की प्रविष्टि की गई है।

17. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सूचना पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, लेकिन कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं है।

18. प्रतिभूमि बंध पत्र पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

19. साप्ताहिक बैठक/समीक्षा पंजी–अंचल में यह पंजी संधारित पाई गई। प्रत्येक सप्ताह में हल्का कर्मचारियों के साथ बैठक तो की जाती है परंतु समय–समय पर दिए गए निदेशों को लिपिबद्ध

सही ढंग से नहीं किया जाता है। साप्ताहिक बैठक में हल्का कर्मचारियों द्वारा दिए गए लगान वसूली को इन्दिराज नहीं किया गया है। बैठक की कार्यवाही अधूरी छोड़ दी जाती है। निदेश है कि बैठक पंजी को अद्यतन तथा पूर्ण रूप से लिपिबद्ध करे के रखा जाय। हल्का कर्मचारी को साप्ताहिक पंजी पर उपस्थिति के आधार पर ही माह का वेतन भुगतान किया जाय। बैठकों में अकारण। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति कर्मचारियों का भुगतान उक्त सप्ताह के लिए बाधित रखा जाय। बिना सक्षम स्वीकृति अथवा पूर्वानुमति की अनुपस्थिति रहने वाले हल्का कर्मचारियों से स्पष्टीकरण की जाय। असंतोषप्रद प्रति उत्तर की दशा में प्रपत्र–"क" तैयार कर जिला राजस्व शाखा को भेजी जाय।

20. प्रधान सहायक नोट बुक पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है प्रविष्टि नहीं की गई प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि हैन्ड नोट बुक में महत्वपूर्ण पत्रों बैठकों आदि की सूचना अंकित की जाती है।

21. अवकाश पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

22. उपस्थिति पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

23. संदेश पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

24. कार्यालय परिचारी पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

25. पंजियों की पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। कुल 66 प्रकार की पंजियो इस कार्यालय में संधारित है, जिसकी प्रविष्टि इस पंजी में की गई है।

26. आवंटन पंजी–शीर्षवार आवंटन पंजी दो–दो प्रतियों में संधारित एवं सत्यापित है। जिला से प्राप्त आवंटन की प्रविष्टी की गई है।

27. लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों की पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

28. सी0 डब्लू0 जे0 सी0/एम0 जे0 सी0 पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। बताया गया कि एक वाद सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0–16 दशरथ बैठा बनाम सरकार एवं अन्य मात्र तथ्य विवरणी तैयार कर भेजने हेतु लंबित है। एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी तैयार कर भेजने हेतु लंबित है। एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी भेजने का निदेश दिया जाता है।

29. सूचना का अधिकार पंजी–पंजी संधारित एंव सत्यापित है। सूचना हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि उक्त पंजी में की गई है।

30. अंकेक्षण पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, लेकिन कोई भी प्रविष्टि इस पंजी में नहीं है। बताया गया कि अंकेक्षण का कोई भी बिन्दु अनुपालन हेतु लंबित नहीं है।

31. स्थायी भंडार पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। यह पंजी विधिवत् संधारित नहीं है।

32. अस्थायी भंडार पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इसमें विधिवत् सामग्रियों की प्रविष्टि नहीं की गई है।

33. येाजना पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस अंचल में कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं है।

34. वाहन लॉग बुक–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

35. वाहन इतिहास पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस पंजी में वाहन सं0 बी0 आर0–28 ई0/7717 जीप से संबंधित सभी विवरण की प्रविष्टि की गई है।

36. बजट कंट्रोल पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है जिला से प्राप्त आवंटन ईकाइवार इस पंजी में की अंकित की गयी है।

37. वेतन भरपाई पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

38. विपत्र पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस पंजी के सभी कॉलम की प्रविष्टियाँ अंकित की गई है।

39. लोक शिकायत निवारण पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। अभीतक अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ के यहाँ से प्राप्त कुल 40 परिवारों की प्रविष्टि इस पंजी में की गई है। बताया गया कि कोई भी प्राप्त परिवाद के संबंध में जाँच प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

40. आदेश पंजी–यह पंजी संधारित एंव सत्यापित है।

41. विशेष दूत प्रेषण पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

42. डाक पंजी लेखा पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु विधिवत् संधारित नहीं है।

43. भ्रमण दैनन्दिनी पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु अद्यतन प्रविष्टि नहीं है।

44. लेखन सामग्री भंडार पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु अद्यतन प्रविष्टि नहीं है।

45. आवास आवंटन पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है।

46. चेक बुक भंडार पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। प्राप्त चेकबुक की प्रविष्टि इस पंजी में की गई है।

47. नाजिर रसीद भंडार पंजी–पंजी संधारित एंव सत्यापित है। इसमें अद्यतन प्रविष्टि की गई है।

48. पुस्तक भंडार पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु कोई प्रविष्टि इसमें नहीं है।

49. अग्र दैनिकी पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु कोई प्रविष्टि इसमें नहीं है।

50. स्मार अग्रदैनिकी पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, इसके कोई प्रविष्टि इसमें नहीं है।

51. निरीक्षण पुस्तिका पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, इसमे कोई प्रविष्टि इसमें नहीं है।

52. अस्थायी चरित्र पुस्त पंजी–पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इसमें कोई प्रविष्टि इसमें नहीं है।

53. कार्य पत्र पंजी–पंजी संधारित है। किस सहायक को कौन–सा कार्य सौंपा गया है, उसकी प्रति संबंधित लिपिक के अलमीरा पर चिपका दिया गया है।

54. रोकड़ बही–रोकड़ बही संधारित एवं सत्यापित है। सामान्य रोकड़ वही के अवलोकन में पता चलता है कि दिनांक 10 फरवरी, 2017 तक लेन देन की प्रविष्टि की गई है, जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त तिथि को रोकड़ बही में कुल 1155064.13 रु0 अवेशष है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	मद का नाम	राशि
1	2029	144160.40
2	2055	31615.00
3	0029	452758.21
4	0210	15346.00
5	2071	5402.00
6	2235	87691.24
7	2015	4000.00
8	2015 (लोक सभा)	3000.00
9	शुद्ध पंजी	142959.54
10	लोक सेवा का अधिकार	1875.00
11	2015 निर्वाचन	33901.92
12	जल्भूमि	13950.00
13	पोस्टर ऑडर	1280.00
14	अग्रीम पंजी	100.00
15	2245 सहाय्य	217024.72
	कुल योग	1155064.03

बैंकवार कैश डिलेट

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता नं0	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक	11453643365	274980.16
2	अभिश्रव की राशि	—	847017.21
3	अग्रीम की राशि	—	31409.00
4	एकल ताला की राशि	—	1657.28
		कुल योग—	1155064.13

55. डी0 सी0 विपत्र पंजी—पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस पंजी में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई भी डी0सी0 विपत्र इस अंचल में लंबित नहीं है।

56. पंजी—IA—रेन्टरॉल—इस अंचल में रेंटरॉल संधारित है परन्तु हल्कावार संधारित नहीं है।

57. पंजी—IIA—खतियान—यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। इस अंचल के सभी 107 राजस्व ग्रामों का थाना नं0 के साथ दर्ज है।

58. मांग पंजी—इस कार्यालय में राजस्व लगान की मांग पंजी संधारित एवं सत्यापित है। पंजी अद्यतन नहीं है।

59. रेमीटेंस पंजी—यह पंजी संधारित एवं सत्यापित हैं, साथ ही अद्यतन भी है।

60. पंजी—IX—निलाम—पत्र पंजी—यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया की स्टेट बैंक मीरगंज/हथुआ के प्रबंधक को पंजी—IX से पंजी—X का मिलान हेतु बराबर अनुरोध किया जाता है, परन्तु नियमित रूप से पंजी का मिलान उनके द्वारा नहीं

किया जाता है। यह भी बताया गया कि मीरगंज शाखा प्रबंधक द्वारा 176 ऋणियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिनके वहा राशि की वसूली हो चुकी है।

61. पंजी–V–दाखिल–खारिज–पंजी संधारित एवं सत्यापित है, इस पंजी में अद्यतन प्रविष्टियाँ अंकित है। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 10 फरवरी, 2017 तक कुल 1590 आवेदन की प्रविष्टि की गई है। जिसमें से 1489 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। एक भी आवेदन कॉल बाधित नहीं है।

निरीक्षण क्रम में यह भी पाया गया कि दाखिल–खारिज का निष्पादन करते समय हल्का कर्मचारियों द्वारा पंजी–II पर दाखिल–खारिज तो कर लिया जाता है परंतु जिस जमाबंदी से जमीन घटाई जानी है उस से प्रायः जमीन को घटाते हुए तथ्य को इन्दिराज नहीं किया जाता है। जिसके कारण भूमि विवाद की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। अंचल अधिकारी को निदेश है कि नामांतरण की स्वीकृति देते समय घटाई जाने वाली जमाबंदियों का रेंडेमली जाँच कर लिया करें। कायम जमाबंदी पर वाद संख्या वर्ष आदेश (न्यायालय का नाम सहित) की तिथि स्पष्ट उल्लेख तथा हल्का कर्मचारियों का पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित, करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी पंजी–II तथा शुद्धि पत्र पर खाता, खेसरा, रकबा, खेसरावार चौहद्दी का अंकन अनिवार्य रूप से किए जाने का निदेश दिया गया। शिविर में प्राप्त दाखिल–खारिज वादों की पंजी अंचल में संधारित नहीं है। इसे संधारित किए जाने का भी निदेश दिया गया।

निरीक्षण क्रम में पाया गया कि दाखिल–खारिज के अस्वीकृत मामलों की संख्या में उतरोत्तर बढ़ोतरी होते जा रही है जो कि गंभीर विषय है। किसी वाद को अस्वीकृत करने में पूर्व उसका समुचित कारणों को अभिलेख में इन्दिराज करना तथा उससे आवेदक को अवगत कराना आवश्यक है। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी वाद में प्रश्नगत जमीन की स्थलीय जाँच अंचल अधिकारी के स्तर से नहीं की जाती है। जो कि गंभीर मामला है। निदेश है कि दाखिल–खारिज स्वीकृति से पूर्व अंचल अधिकारी स्वंय प्रश्नगत जमीन स्थलीय जाँच करें। स्थलीय जाँच स्मारिका तैयार की जाय तथा उसे अभिलेख में संधारित एवं उल्लेखित भी किया जाय। आपसी सहमति के आधार पर आपसी पंचायत बँटवारा से तैयार फटबंदी के आलोक में दाखिल–खारिज की एक भी स्वीकृति नहीं दी गई है। पुराने मृत खतियानी रैयत/जमाबंदी रैयतों के हाल वारिशानों को इसके सम्बंध मं प्रोत्साहित करते हुए राजस्व हीत में जमाबंदी की फटबंदी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी निदेश दिया गया ताकि जमाबंदी पंजी का कम्प्यूटराईजेशन कार्य को अद्यतन तथा त्रुटिरहित किया जा सके।

62. पंजी–7 दाखिल–खारिज–यह पंजी संधारित एंव सत्यापित है। दाखिल–खारिज संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों की प्रविष्टि इसमें की गई है।

63. सड़क/पुलिया पंजी–अंचल में निर्मित सड़क एवं पुलिया की संख्या से संबंधित पंजी का संधारण किया गया है, परन्तु अद्यतन नहीं है।

64. ग्राम नोट बुक पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है। सभी हल्कों में स्थित राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि इसमें की गई है।

65. खेसरा/प्लॉट इन्दराज पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है, परन्तु इस अंचल में स्थित सभी खेसराओं की प्रविष्टि इसमें नहीं की गई है।

66. ग्राम नक्शा पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है परन्तु इसमें कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

67. थाना नक्शा पंजी–यह पंजी संधारित एवं सत्यापित है परन्तु इसमें कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

68. लोक भूमि अतिक्रमण पंजी–कार्यालय में लोक भूमि अतिक्रमण पंजी संधारित है। लोक भूमि अतिक्रमण वाद के अन्तर्गत वादों पर नियमित सुनवाइ/कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसके कारण लोक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की कार्यवाही में प्रगति नगण्य है। इसमें तेजी लाते हुए नियमित सुनवाई कर अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराए जाने का निदेश दिया गया।

69. वासगीत पर्चा (B.P.P.H.T. Act) पंजी–कार्यालय में वासगीत पर्चा पंजी संधारित है परंतु जरूरत मदों के बीच वासगीत पर्चा का दिए जाने की स्थिति नगण्य है। अंचल अधिकारी को निदेश है कि हल्का कर्मचारियों के माध्यम से अभियान चलाकर प्रश्रय प्राप्त रैयतों की पहचान हल्का/पंचायत स्तर पर की जाय। मकान–मय–सहन के साथ रैयती जमीन पर प्रश्रय प्राप्त रैयतों के बीच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वासगीत पर्चा प्रपत्र–G निर्गत किया जाय।

70. श्रम कानून पंजी–यह पंजी संधारित एंव सत्यापित है। किसी प्रकार का वाद लंबित नहीं है।

71. चौकिदारों की स्थापना–चाकिदारों/दफादारों की स्थापना संबंधी पंजी संधारित एवं सत्यापित है परन्तु इसमें पूर्व से कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। बताया गया कि सभी चौकिदारों की सेवापुस्त ए०सी०पी० की लाभ की स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय में भेजी गई है।

72. अभियान वसेरा–इस अंचल में कुल 89 लाभार्थियों में महादलित 39 अनुसुचित जाति 18 अनुसुचित जनजाति 1 पिछड़ी जाति 31 परिवार है, इनमें से गैर–मजरूआ मालिक भूमि से 40 गैर–मजरूआ आम भूमि में 39 प्रश्रय प्राप्त रैयत के अन्तर्गत 10 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। शेष का प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

73. दखल दहानी–सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पर्चाधारियों में भूमि से बेदखल कुल 113 में कुल 43 पर्चाधारियों को दखल दिलाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया की शेष बेदखल पर्चाधारियों को सार्वजनिक उपयोग यथा मंदिर, छठ स्थान, नाला, पोखरा, भिण्डा एवं असंम्पुष्ट सैरात के भूमि होने के कारण दखल नहीं कराया गया है।

74. भू–लगान वसूली–चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत कुल माँग 6235000 के विरूद्ध जनवरी, 2017 तक कुल 1469142 रु० की वसूली की गई है, जो मात्र 23.66% है। भू–राजस्व की वसूली असंतोषप्रद पाई गई । निदेश है कि भू–राजस्व वसूली में तेजी लाइ जाय। वितिय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत वसूली कर कोषागार चलान के द्वारा विभागीय शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

75. सैरात–इस अंचल में कुल 55 सैरातों में 53 सैरातों की बन्दोबस्ती की गई है। शेष 2 सैरातों की विभागीय वसूली इस अंचल के द्वारा की जा रही है। माह जनवरी तक कुल माँग 461087 रु० के विरूद्ध 371463.00 रु० की वसूली की गई है।

76. आर० टी० पी० एस०–दिनांक 13 फरवरी, 2017 तक आर० टी० पी० एस० में प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	प्राप्त आवेदनों की सं0	निष्पादित अवेदनों की सं0।	काल बाधित आवेदनों की सं0।
1	जाति	28806	28875	0
2	आय	28203	28182	0
3	निवास	44702	44668	0
4	एल0 पी0 सी0	2350	2320	0
5	दाखिल–खारिज	8175	8064	0

77. भू–दान लगान निर्धारण पंजी–कार्यालय में यह पंजी संधारित है जिसमें भू–दान भूमि के लगान निर्धारण के लिए प्रारम्भ की गई अभिलेखों की प्रविष्टियां की गई है। अनुमण्डल स्तर पर सक्षम स्वीकृति हेतु भेजे गए अभिलेखों की तथा स्वीकृति के पश्चात् प्राप्त अभिलेखों कि प्रविष्टियां इसमें वर्षवार की गई है। वर्तमान में राजस्व विभाग के पत्रांक 970(7)/रा0, दिनांक 23 अगस्त, 2016 के आलोक में गैर–मजरूआ मालिक जमीन के संदर्भ में भू–दान कि कार्रवाई स्थगित किया गया है।

78. महादलित सर्वेक्षण तथा पंजी/अभिलेखों का संधारण–कार्यालय में इससे सम्बंधित पंजी संधारित है। प्रपत्र I तथा II में सर्वेक्षण कार्य पूर्ववत् है। सतत् सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। निदेश है कि ऐसे भूमिहीन परिवार के सदस्यों को चिन्हित किया जाय जिन्हें वासयोग्य जमीन नहीं है। ताकि उन्हें वासयोग जमीन उपलब्ध कराकर आच्छादित किया जा सके। इस कार्य हेतु सभी हल्का कर्मचारियों को भी निदेशित किया गया।

79. वक्फ बोर्ड, मठ मंदिर सार्वजनिक जमीन की पंजी–इस कार्यालय में वक्फ बोर्ड की जमीन, मठ मंदिर की सार्वजनिक जमीन से सम्बंधित पंजी सही ढंग से संधारित नहीं किया गया है, इसे अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

80. अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ हल्का कर्मचारियों का निरीक्षण–निरीक्षण क्रम में पाया गया कि वर्तमान अंचल अधिकारी का इस अंचल कार्यालय में लगभग 20 माह पदस्थापन अवधि गुजर जाने के बावजूद मात्र एक हल्का का निरीक्षण किया गया है, जो कि संतोषप्रद नहीं है। निदेश है कि माह में कम–से–कम चार हल्कों का स्वंय निरीक्षण किया जाय तथा इससे वरीय पदाधिकारियों को भी अवगत कराई जाय।

81. पायलट प्रोजेक्ट राजस्व ग्राम का जमाबंदी कम्प्यूटराईजेशन इस अंचल अन्तर्गत पंचायत एवं हल्का बड़ी ईशर की जैनन राजस्व ग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित किया गया है। इस राजस्व ग्राम के अन्तर्गत कुल–241 जमाबंदी चल रही है। इस में से 225 जमाबंदियों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का दो दिनों के अन्दर पूर्ण किए जाने का निदेश दिया गया।

82. सामान्य निदेश–अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश है कि निरीक्षण क्रम में पाई गई त्रुटियों का शीघ्रातीशीघ्र निराकरण किया जाय। अंचल नजारत पर विशेष ध्यान दिया जाय। वित्तिय वर्ष 2016–17 की लगान की वसूली की मांग के आलोक में लगान वसूली प्राथमिकता देते हुए इसे वितीय वर्ष की समाप्ति माह में शत–प्रतिशत करने हेतु हल्का कर्मचारियों का सतत् पर्यवेक्षण किया जाय। भूमि विवाद के मामलों को निष्पादनार्थ सरकार के निदेश के आलोक में प्रत्येक शनिवार को स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ बैठ कर मामले का समाधान किया जाय। विभागीय न्यायालीय तथा उच्चाधिकारी आदेश–निदेश का तत्परता एवं गंभीरता के साथ अनुपालन किया जाय। लोक भूमि अतिक्रमण तथा लोक जन शिकायत के मामलों को प्राथमिकता के साथ निष्पादित किया जाय। 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराई जाय।

मो0 नुरूल ऐन,
भूमि सुधार उप–समाहर्ता,
हथुआ।

अनुलग्नक–'ग'

श्री सुनिंल कुमार, अपर समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक 18 मई, 2023 को अंचल कार्यालय, हथुआ का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणीः–

1. **परिचय**–यह अंचल कार्यालय वर्ष 1965 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। जिला मुख्यालय के इस अंचल की दूरी 20 किलोमीटर है, जो दक्षिण दिशा में मीरगंज–भोरे पथ पर मीरगंज से 3 कि0मी0 पश्चिम दिशा में नगर पंचायत, हथुआ के मौजा–मठियाँ में अवस्थित है।

इस अंचल में कुल 18 पंचायत एवं 1 नगर पंचायत, हथुआ एवं एक नगर परिषद्, मीरगंज (आंशिक भाग) है। इस अंचल में कुल 109 राजस्व ग्राम है, जिसमें 04 बेचिरागी ग्राम है। इस अंचल का भौगोलिक क्षेत्रफल 36946.32 हेक्टेयर है, इसमें से 29253.16 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।

इस अंचल का क्षेत्र में 02 थाना यथा हथुआ एवं मीरगंज के अन्तर्गत आता है।

2. **भवन**–प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एक ही सरकारी भवन में कार्यरत है जिसमें अंचल कार्यालय के लिए 03 कमरे आवंटित हैं। इसमें से द्वितीय कमरा में अंचल अधिकारी का कक्ष है, आठवे कमरे में कार्यालय कक्ष है तथा नवे कमरे में अंचल नजारत है।

3. **प्रभार**–श्री विपिन कुमार सिंह, अंचल अधिकारी के रूप में दिनांक 27 फरवरी, 2019 से कार्यरत है इससे पूर्व श्री धर्मनाथ बैठा अंचल अधिकारी, हथुआ के पद पर पदस्थापित थे।

4. **स्थापना**–इस अंचल में राजस्व अधिकारी सहायक राजस्व कर्मचारी अमीन एवं कार्यरत परिचारी की पदस्थापना की स्थिति निम्नवत् हैः–

अंचल कार्यालय में स्वीकृत पदों का विवरण–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अंचल अधिकारी	1	1	0	
2	राजस्व अधिकारी	1	0	1	
3	सहायक	5	4	1	श्री अंकित कुमार भूमि सुधार उप–समाहर्ता हथुआ के कार्यालय में प्रतिनियुक्त।
4	राजस्व कर्मचारी	22	11	11	03 संविदा पर
5	अमीन	1	1	0	
6	चालक	1	1	0	संविदा
7	कार्यालय परिचारी	5	5	0	1 संविदा 3 अतिरिक्त

इस अंचल में पदस्थापित कर्मियों का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्रीमती रिता कुमारी	प्रधान लिपिक	अगस्त–2022	
02	श्री अमीत कुमार राम	लिपिक	जून–2021	
03	श्री नागेन्द्र प्रसाद	लिपिक	सितम्बर–2021	
04	श्री शैलेन्द्र राय	राजस्व कर्मचारी	जुन–2021	
05	श्री नन्दकिशोर सिह	राजस्व कर्मचारी	जुलाई–2020	संविदा पर
06	श्री टुनटुन कुमार सिंह	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	संविदा पर
07	श्री वीरप्रताप सिंह	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	संविदा पर
08	श्री मनोज कुमार गुप्ता	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	
09	श्री अभय कुमार	राजस्व कर्मचारी	जून–2020	
10	श्री सुनिल कुमार राम	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	
11	श्री प्रमोद राम	राजस्व कर्मचारी	जनवरी–2023	
12	श्री सुरेश राय	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	
13	श्री मनिष कुमार	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	
14	श्री राज़कुमार मांझी	राजस्व कर्मचारी	जून–2019	
15	श्री अख्तर अली	कार्यालय परिचारी	जनवरी–2023	
16	श्रीमती मनोरमा कुमारी	कार्यालय परिचारी	2002	
17	श्री बलीन्द्र राम	कार्यालय परिचारी	2018	
18	श्री जोगेन्द्र राम	कार्यालय परिचारी	2018	
19	श्री रामु भगत	कार्यालय परिचारी	1985	संविदा पर
20	सुश्री अंजली कुमारी	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	2020	
21	श्री सबा परबेज आलम	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	2022	
22	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक सहायक	2021	
23	श्री संजय कुमार	कार्यपालक सहायक	2022	

5. पूर्व निरीक्षण—पूर्व के निरीक्षण से संबंधित कोई विवरणी/निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि पूर्व निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी को खोजकर अनुपालन की स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. अनुक्रमणिका पंजी (पंजी 62)—पंजी संधारित है। जिसमें 29 तक संचयन संख्या अंकित है। किन्तु उक्त संचयन का अनुमोदन अंचल अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। एक–दो संचयनों को छोड़कर अधिकांश में एक भी संचिका नहीं खोली गई है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि सभी संचिकाओं की प्रविष्टि अनुक्रमणिका पंजी में कराना सुनिश्चित करें।

7. पत्राचार—अंचल कार्यालय, हथुआ में पत्राचार हेतु सामान्य एवं मुख्य आगत/निर्गत पंजी का संधारण किया गया है।

7 (क) प्राप्त पंजी—सामान्य आगत पंजी में 400 पत्रों की प्रविष्टि की गई है। मुख्य आगत पंजी में एक भी पत्र की प्रविष्टि नहीं दर्शायी गयी है। प्राप्त पत्रों को कहाँ रखा गया है अर्थात विहित कॉलम में संचिका सं0 अंकित नहीं है एवं भेजे गये उत्तर का ब्यौरा नहीं भरा गया है।

7 (ख) निर्गत पंजी—सामान्य निर्गत पंजी में 878 पत्रों को निर्गत दर्शाया गया है किन्तु उक्त पत्रों को कहाँ रखा गया है अर्थात संबंधित संचिका संख्या की प्रविष्टि नहीं की गई है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया है कि प्राप्त एवं निर्गत पंजी का संधारण विहित रीति से कराते हुए सभी कॉलमों की प्रविष्टि सुनिश्चित करायेंगे।

8 कर्मपुस्त—कर्मपुस्त का संधारण लिपिकवार किया गया है। किन्तु नागेन्द्र प्रसाद, लिपिक के कर्मपुस्त में माह अप्रैल, 2023 तक श्री अमित राम, लिपिक के कर्मपुस्त में माह मार्च, 2023 तक एवं श्रीमती रीता कुमारी, लिपिक के कर्मपुस्त में माह फरवरी, 2023 तक के ही पत्रों की प्रविष्टि की गयी है। उक्त तिथियों के बाद प्राप्त पत्रों की प्रविष्टि लॉग बुक में नहीं किया जाना गंभीर विषय है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया है कि कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को प्राप्त पंजी में संधारित कराते हुए इसकी संबंधित लिपिक/कर्मियों के कर्मपुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे ।

9 रक्षी संचिका—दो रक्षी संचिका अर्थात आपदा एवं अन्य विषयों से संबंधित सामान्य रक्षी संचिका उपस्थापित की गयी। उक्त दोनों रक्षी संचिकाओं को भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है।

विषयवार/मदवार रक्षी संचिका संधारित कराने हेतु अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया।

10 सेवा पुस्त—इस कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मियों का सेवापुस्त संधारित है। स्थापना लिपिक द्वारा बताया गया कि सेवा का सत्यापन दिनांक 30 अप्रील, 2023 तक किया गया है। जाँच के क्रम में श्री सुरेश राय, राजस्व कर्मचारी एवं श्री मनोज कुमार गुप्ता, राजस्व कर्मचारी के सेवापुस्त में दिनांक 30 अप्रील, 2023 तक सेवा सत्यापित किया हुआ पाया गया।

सभी कर्मियों के अवकाश लेखा की गणना कर अवकाश तालिका अद्यतन करने हेतु निदेशित किया गया।

11 प्रधान सहायक नोट बुक (बी0 एम0 आर0–117)—इस कार्यालय में प्रधान सहायक नोट बुक संधारित है। किन्तु अद्यतन प्रविष्टियाँ नहीं की गई है।

प्रधान लिपिक को नोटबुक अद्यतन रखने एवं महत्वपूर्ण पत्रों/कार्यों को नोट कर रखने हेतु निदेशित किया गया, ताकि ससमय कार्य का निष्पादन किया जा सके।

12 अवकाश पंजी—इस कार्यालय में एक अवकाश पंजी संधारित की गयी है, जो अद्यतन है।

13. उपस्थिति पंजी—इसके लिए एक पंजी संधारित की गयी है जिसमें प्रत्येक कर्मियों द्वारा

प्रत्येक कार्य दिवस को अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती है। इस कार्य हेतु बॉयोमेट्रिक्स मशिन भी अधिष्ठापित है, जिनमें सभी कर्मियों द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है।

14. कार्यालय परिचारी बही–इस कार्यालय में प्रत्येक अनुसेवियों का अलग–अलग पंजी संधारित है जिसमें निर्गत पत्रों को अंकित किया जाता है तथा उनके द्वारा प्रेषित कार्यालय/व्यक्ति को पत्र/नोटिस उपलब्ध कराया जाता है।

15. सूचना का अधिकार पंजी–पंजी संधारित है। इस वर्ष 04 आवेदन प्राप्त है। सभी का उत्तर प्रेषित दर्शाया गया है। किन्तु पंजी में आवेदन शुल्क प्राप्ति/अन्य लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यालय से हस्तानांतरित होकर प्राप्त का विवरण अंकित नहीं है।

पंजी को विहित प्रपत्र में एवं अद्यतन संधारित कराने हेतु निदेशित किया गया।

16. हकियत वाद–हकियत वाद पंजी संधारित है। लंबित वादों का ब्यौरा निम्नवत् है:–

क्र0	वाद का प्रकार	मो0 नं0	वादी	प्रतिवादी	वाद की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	हकियत वाद सं0	54/18	राजपति देवी	बिहार सरकार	–
2	हकियत वाद सं0	183/12	हीरा लाल साह	बिहार सरकार	–
3	हकियत वाद सं0	254/19	राजकिशोर सिंह	बिहार सरकार	–
4	हकियत वाद सं0	213/05	रामनरेश सिंह	बिहार सरकार	–
5	हकियत वाद सं0	315/18	मु0 गुलाबी देवी	बिहार सरकार	–
6	हकियत वाद सं0	241/18	नंदकिशोर सिंह	बिहार सरकार	–
7	हकियत वाद सं0	23/11	बालदेय राय	बिहार सरकार	–
8	हकियत वाद सं0	1002/17	रामेश्वर प्रसाद	बिहार सरकार	–
9	हकियत वाद सं0	594/10	छोटा खॉं	बिहार सरकार	–
10	हकियत वाद सं0	30/17	जंगबहादुर सिंह	बिहार सरकार	–
11	हकियत वाद सं0	202/02	मु0 मिथिलेश देवी	बिहार सरकार	–
12	हकियत वाद सं0	912/18	बैद्यनाथ प्रसाद	बिहार सरकार	–
13	हकियत वाद सं0	870/17	मो0 हारून	बिहार सरकार	–
14	हकियत वाद सं0	871/17	अब्दुल्लाह खां	बिहार सरकार	–
15	हकियत वाद सं0	226/17	गणेश साह	बिहार सरकार	–
16	हकियत वाद सं0	241/18	नंदकिशोर सिंह	बिहार सरकार	–
17	हकियत वाद सं0	432/13	संदीप सिंह	बिहार सरकार	–
18	हकियत वाद सं0	2086/16	उमाशंकर सिंह	बिहार सरकार	–
19	हकियत वाद सं0	609/17	रामधारी प्रसाद	बिहार सरकार	–
20	हकियत वाद सं0	518/14	सुगंधी देवी	बिहार सरकार	–
21	हकियत वाद सं0	30/97	रामावतार राय	बिहार सरकार	–
22	हकियत वाद सं0	354/19	संजीव कुमार	बिहार सरकार	–
23	हकियत वाद सं0	651/19	अभय कुमार राय	बिहार सरकार	–
24	हकियत वाद सं0	133/09	जबाहर चौधरी	बिहार सरकार	–
25	हकियत वाद सं0	194/22	घनश्याम पांडेय	बिहार सरकार	–
26	हकियत वाद सं0	309/22	रामरेश्वर सिंह	बिहार सरकार	–
27	हकियत वाद सं0	1086/22	वलीराम पाण्डेय	बिहार सरकार	–
28	हकियत वाद सं0	905/22	देवकी नंदन	बिहार सरकार	–
29	हकियत वाद सं0	429/21	क्यामूल अंसारी	बिहार सरकार	–

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि सरकारी अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज से समन्वय स्थापित कर लंबित वादों में सक्षम अनुमोदनोपरान्त एक पक्ष के अन्दर उत्तर पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे ।

17. सी0 डब्लू0 जे0 सी0 / एम0 जे0 सी0 पंजी:—पंजी संधारित है। लंबित वादों का ब्यौरा निम्नवत है:—

Sl No	CWJC No.and Year	Name of Petitioners	Name of Pleader	Subject matter	Related Officer name	Oath No. and date	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CWJC..../2023	Abhay Kumar Rai	-	-	CO Hathua		SOF तैयार किया जा रहा है।
2	CWJC..../2023	Nanhelal Sah	-	-	CO Hathua		SOF अनुमोदन हेतु जिला विधि शाखा को भेजा गया है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष सभी वादों से संबंधित तथ्य विवरणी तैयार कर जिला विधि शाखा, गोपालगंज को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

18. वेतन भरपाई पंजी—इसके लिए एक पंजी संधारित है जिसमें सभी कर्मियों का वेतन विवरणी अंकित है।

19. सेवा पुस्त पंजी—इस कार्यालय में एक सेवापुस्त पंजी संधारित की गयी है जिसमें 47 कर्मियों को सेवा पुस्त सम्बन्धी विवरण अंकित है।

सभी कर्मियों के सेवापुस्त में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर पंजी को अद्यतन करने हेतु अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेशित किया गया।

20. जल–जीवन हरियाली–

क्र0	अतिक्रमित जल निकाय की सं0।	अतिक्रमण मुक्त कराये गए।	अतिक्रमण हटाने हेतु शेष।
01	25	25	शून्य

21. अतिक्रमण वाद पंजी—पंजी संधारित है। वर्षवार विवरणी निम्नवत् है:—

क्र0	वर्ष	दायर वाद	निष्पादित वाद	लंबित	निर्गत प्रपत्र–1	निर्गत प्रपत्र–2
01	2022–23	21	5	16	16	4
02	2023–24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लंबित अतिक्रमण वादों में शीघ्र आदेश पारित करने हेतु अंचल अधिकार, हथुआ को निदेश दिया गया।

22. बी0 पी0 पी0 एच0 टी0–पंजी संधारित है। वर्ष 2022–23 में एक भी पर्चा निर्गत नहीं है। पूर्व के वर्षों की पंजी प्रस्तुत की गयी जिसमें वर्षवार (2017–18 तक) पर्चा निर्गत लाभुकों का ब्यौरा अंकित है।

सभी पुरानी पंजियों/अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया।

23. भू–दान पंजी–पंजी संधारित है। वर्ष 2022–23 में एक भी लगान निर्धारण नहीं हुआ है। पूर्व के वर्षों की पंजी उपस्थापित की गयी, जिसमें वर्ष 2016–17 तक किये गये लगान का निर्धारण का ब्यौरा अंकित है।

सभी पंजियों/अभिलेखों की सुरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया।

24. अभियान बसेरा–पंजी संधारित है। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 अन्तर्गत 05 लाभुकों को बन्दोबस्ती का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ को भेजा गया है, जिनपर सक्षम स्वीकृति अप्राप्त है।

तदोपरान्त पर्चा निर्गत किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हथुआ से सम्पर्क स्थापित कर उक्त प्रस्तावों पर अविलम्ब सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, ताकि लाभुकों को पर्चा वितरण सुनिश्चित हो सके।

25. गैर–मजरूआ आम/खास पंजी–पंजी संधारित है। अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि का सत्यापन राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें एवं अवैध जमाबंदी सृजन का मामला प्रकाश में आता है, तो जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में कतिपय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऐसे कुछ मामलों की पहचान की गयी है तथा प्रस्ताव तैयार कर अंचल कार्यालय में समर्पित किया गया है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेशित किया जाता है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्ता (राजस्व) को भेजना सुनिश्चित करें।

26. भू–हदबन्दी (सिलिंग)–इससे संबंधित पंजी संधारित नहीं है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि भू–हदबंदी (सिलिंग) के मामलों में समाहित भूमि का विवरण एकत्रित कर इससे संबंधित हल्कावार पंजी का संधारण सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हथुआ को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

27. भू–रिसीवर पंजी–यह पंजी संधारित नहीं है। अंचल अधिकारी, हथुआ/अंचल निरीक्षक /प्रधान लिपिक द्वारा पंजी के संदर्भ में अनभिज्ञता जतायी गयी। इस संदर्भ में पूर्व अंचल अधिकारी, हथुआ श्री धर्मनार्थ बैठा से दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि केसर बाग एवं पुरानी किला हथुआ से संबंधित भूमि के लिए अंचल अधिकारी, हथुआ को रिसीवर बनाया गया है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि उक्त पंजी/आदेश को खोजकर उसकी प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, हथुआ को उपलब्ध कराते हुए संबंधित भूमि का नियमानुसार संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

28. भू–हस्तानान्तरण–एतद्संबंधी पंजी संधारित है। वर्ष 2022–23 में 05 (पाँच) एवं वर्ष 2023–24 में 01 वाद का संधारण भू–हस्तान्तरण पंजी में किया गया है, किन्तु लंबित भू–हस्तानांतरण के मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकरी, हथुआ को निदेश दिया गया कि जिला राजस्व शाखा, गोपालगंज से लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर तदनुसार भू–हस्तानान्तरण का प्रस्ताव सात दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

29. कृषि गणना–

कुल मौजा की संख्या	गणना पूर्ण मौजा की संख्या	कुल जमाबंदी	गणना पूर्ण जमाबंदी
109	109	29049	29049

इस अंचल अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गयी है।

30. निलाम–पत्र वाद–निलाम–पत्र से संबंधित पंजी संधारित है। वर्षवार दर्शाये गये वादों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	वर्ष	बाद की संख्या	निष्पादित वाद
01	2016–17	49	–
02	2021–22	22	–

वर्षवार वाद पंजी/ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दायर वादों के विरूद्ध निष्पादित वादों एवं इनमें की गयी वसूली की स्थिति क्या है ?

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि वर्षवार वाद पंजी का संधारण सुनिश्चित करते हुए सभी बकायादारों को विहित प्रपत्र में नोटिस निर्गत करें तथा वाद में सन्निहित राशि की वसूली निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करें। साथ ही वर्षवार दायर वादों, सन्निहित राशि, वसूली एवं defaulters के विरूद्ध निर्गत सूचना/वारंट संबंधी प्रतिवेदन तैयार कर जिला निलाम–पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

31. भूमि विवाद (शनिवारीय)–हल्का वार पंजी संधारित है।

क्र0	विगत माह में प्राप्त मामले की सं0।	निष्पादित मामले की सं0	लंबित मामले की सं0
01	19	13	06

32. सिकमी बटाई पंजी–पंजी संधारित नहीं है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि खातियान के अनुसार कितने सिकमीदार है एवं उनके आवेदन के विरूद्ध कितने मामले BT Act की धारा–48D रैयती राईट घोषित किया गया है, कि विवरणी तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

33. परिमार्जन–

क्रमांक	अंचल का नाम	कुल प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या।	निष्पादित (स्वीकृत+अस्वीकृत)	लंबित	निष्पादन प्रतिशत।
01	हथुआ	1285	1246	37	96.96

34. आर0 ओ0 आर0–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	कुल जमाबंदी की संख्या।	त्रुटिपूर्ण जमाबन्दी की सं0।	शुद्ध की गई जमाबन्दी की सं0।	अवशेष जमाबंदी।	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हथुआ	73995	59196	31848	27348	53.80

अवशेष जमाबंदी 27423 का सुधार विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर करने हेतु अंचल अधिकारी हथुआ को निदेशित किया गया।

35. ऑनलाइन दाखिल–खारिज–

दिनांक 18 मई, 2023 को समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन दाखिल–खारिज से संबंधित प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत पाई गई:–

SL. NO	ANCHAL NAME	APPLICATION RECEIVED	DISPOSE CASE	CASE REJECTED	CASE PENDING	CASE EXPIRED MORE THAN 21 DAYS
01	Hathua	13010	8673	3748	589	80

दाखिल–खारिज के लंबित मामलों में अंचल अधिकारी स्तर पर 180, अंचल निरीक्षक स्तर पर 32, राजस्व कर्मचारी के स्तर पर 212 मामले कालबाधित पाये गये। सभी मामलों का निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्दर करने हेतु संबंधितों को निदेशित किया गया।

उपस्थित राजस्व कर्मचारियों से दाखिल–खारिज के कालबाधित आवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किस राजस्व कर्मचारी के लॉगइन में कितना दिन से आवेदन लंबित है, इसमी समीक्षा नहीं की जाती है। जिला आई0टी0 प्रबंधक, गोपालगंज को निदेशित किया जाता है कि अनुमंडलवार राजस्व कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर तत्संबंधी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी राजस्व कर्मचारी दाखिल–खारिज के आवेदनों का अपने स्तर से दैनिक समीक्षा कर सके।

36. भू–मापी–पंजी संधारित है। दिनांक 01 अप्रील, 2022 से 18 मई, 2023 के बीच कुल 76 आवेदनों की प्रविष्टि दर्शायी गई है। विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0	वर्ष	मापी हेतु प्राप्त आदेश	निजी आवेदकों से प्राप्त आवेदन।	विभिन्न न्यायालयों /सरकारी आदेश से।	निष्पादित	लम्बित
01	2022–23	63	63	—	48	15
02	2023–24	13	13	—	4	9

भू–पैमाइश से लम्बित सभी मामलों का निष्पादन एक पक्ष के अंदर कराने हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया।

37. अस्थायी भण्डार पंजी (पंजी 96 बी0 एम0 आर–328)–इसके लिए कार्यालय में एक पंजी संधारित है।

38. लेखन समाग्री भण्डार पंजी (बी0 एम0 आर0–124)–इसके लिए पृथक पंजी संधारित है। भंडार का विवरण तथा प्राप्ति का ब्यौरा अंकित है।

39. चेक बुक भण्डार पंजी–एस0 बी0 आई0 में संधारित बैंक खाता सं0 11453643365 के लिए संधारित चेक बुक पंजी प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्राप्त चेक बुक का विवरण अंकित है।

40. नाजीर रसीद भण्डार पंजी (बी0 एम0 आर–303, 310)–पंजी संधारित है, जिसमें कोषागार से प्राप्त एन0 आर0 का ब्यौरा अंकित है।

41. अग्रिम दैनिकी पंजी (बिहार अभि0 हस्तक, 1917 नियम 45, 46 फार्म–18)–पंजी संधारित है, किन्तु इसका संधारण विहित प्रपत्र में नहीं किया गया है।

अंचल नाजिर को इस पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में करने हेतु निदेश दिया गया।

42. अभिश्रव पंजी–अंचल कार्यालय, हथुआ में अभिश्रव पंजी संधारित है जिसमें 627785.00 रूपया का अभिश्रव दर्शाया गया है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि मदवार लंबित अभिश्रवों की विवरणी तैयार कर शीघ्र समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

43. डी0 सी0 विपत्र पंजी:–पंजी संधारित है। प्रधान सहायक/नाजिर द्वारा बताया गया कि इस अंचल में डी0 सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

डी0 सी0 विपत्र पंजी संधारित करने हेतु अंचल कार्यालय, हथुआ को निदेश दिया गया।

44. सैरात पंजी–सैरात पंजी संधारित है। प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि सभी सैरात विभागीय निदेशानुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् को हस्तानांतरित कर दी गई है। हस्तानांतरित सैरातों की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0	कुल सैरातों की सं0।	ग्राम पंचायत को हस्तानांतरित।	पंचायत समिति को हस्तानांतरित।	जिला परिषद् को हस्तानांतरित।	अवशेष/अहस्तान्तरित सैरात।	विभागीय पोर्टल पर अपलोड।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55	2	51	2	शून्य	55	

सैरातों की सुरक्षित जमा राशि कबतक निर्धारित की गई है, सैरातों की बंदोबस्ती कबतक हुई है आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

45. लगान रसीद वही पंजी—पंजी संधारित है। परन्तु यह पंजी अद्यतन नहीं है। पंजी में राजस्व कर्मचारी को रसीद बही प्राप्ति की तिथि अंकित है, किन्तु वापसी की तिथि स्पष्ट नहीं है। पंजी के अनुसार 18 अप्रील, 2022 के बाद राजस्व कर्मचारी को लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है। पृच्छा के क्रम में अंचल नाजिर द्वारा बताया गया कि सभी राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान रसीद बही, वापस कर दिया गया है। एक मात्र राजस्व कर्मचारी श्री सुरेश राय द्वारा अबतक रसीद बही वापस जमा नहीं की गई है।

अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि श्री सुरेश राय, राजस्व कर्मचारी से संबंधित रसीद बही की वापसी सुनिश्चित कराते हुए पंजी को अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे।

46. लगान वसूली—माह अप्रैल, 2022 के बाद मैनुअल में रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से लगान की वसूली की जा रही है। वर्ष 2022—23 में भू—लगान वसूली का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0	अंचल	मांग (वित्तीय वर्ष 2022—23)	लगान रसीद की कुल संख्या।	ऑफलाइन वसूली।	ऑनलाइन वसूली।	अभ्युक्ति
01	हथुआ	13337000	5193	00	500540	—

लगान वसूली का प्रतिशत मांग के सापेक्ष में काफी कम पाया गया । अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि मांग के सापेक्ष में लगान वसूली हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित करें, ताकि लक्ष्य के अनुरूप लगान वसूली सुनिश्चित हो सके।

47. अग्रिम पंजी—पंजी संधारित है। पंजी के पृष्ट सं0 18 पर रुपया 16054.48 का अवशेष अग्रिम दर्शाया गया है।

अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया कि सभी अग्रिमधारियों को नोटिस निर्गत कर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जाय।

48. चेक बुक पंजी—एस0 बी0 आई0 में संधारित बैंक खाता सं0 11453643365 के लिए संधारित चेक बुक पंजी प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्गत चेक का विवरण अंकित है। दिनांक 30 अप्रील, 2023 को पंजी में 1068428.65 रुपया अवशेष दर्शाया गया है, जो बैंक स्टेटमेंट के अनुरूप है।

49. रोकड़ बही—दिनांक 30 अप्रील, 2023 तक सामान्य रोकड़ बही संधारित है। रोकड़ बही का ब्रेक—अप निम्नवत् है:—

1. अभिश्रव	—	627785	रुपये
2. अग्रिम	—	16054.48	रुपये
3. कैश इन हैंड	—	2010.17	रुपये
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हथुआ	—	1068428.65	रुपये
योग—		1714278	रुपये

किसी भी रोकड़ बही (सहायक/सामान्य) पर लेखापाल का हस्ताक्षर नहीं है। अंचल अधिकारी, हथुआ को उक्त के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निदेशित किया गया।

निदेश—अंचल अधिकारी, हथुआ को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर दिये गये निदेशों का कण्डिकावार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक................/06/2023 तक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ह0) अस्पष्ट,
अपर समाहर्ता,
गोपालगंज।

अनुलग्नक–'घ'
पत्रांक–1454 / भू–अर्जन
समाहरणालय, सिवान
(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रेषक

समाहर्ता,
सिवान।

सेवा में

सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 (ई0)।

विषय––सिवान जिला अन्तर्गत गुठनी मौजा के प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग––राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1322 / रा0, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि रामजानकी पथ परियोजना **NH-227A** सिवान–गुठनी खण्ड के मौजा–गुठनी के अधिग्रहण में आ रही भूमि के संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र में दिनांक 05 फरवरी, 2024 को किया गया जिसमें उक्त राजस्व ग्राम में अधिग्रहण में आ रहे भूमि की पूर्ण विवरणी खाता एवं रकबा अंकित करते हुए दर्शाया गय। है।

विदित हो कि उक्त का प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत किया जाना होता है। उक्त अधिनियम के तहत दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन दिनांक 22 फरवरी, 2024 को किया गया। ज्ञातव्य हो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक **NH-11011/71/2022-LA**, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 में वर्णित प्रावधान एवं निदेशानुसार बार कोड का प्रकाशन किया जाना था, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र में किया गया। उक्त बारे कोड को स्कैन करने के उपरान्त भारत का राजपत्र खुल जाता है जिसे आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है अथवा अपने खेसरों की जाँच की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
समाहर्ता,
सिवान।

अनुलग्नक–'च'

संं0–1/मु0स्था0रा0मू0 (विविध)–11–01/2017–1663(1)/रा.

पीत–पत्र के बदले में।

दिनांक 10 सितम्बर, 2020

विभागीय पत्रांक 664(10ए)/रा0, दिनांक 23 अगस्त, 2024 के आलोक में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 29 जुलाई, 2024 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार निम्नांकित कंडिकावार प्रश्नावली का उत्तर निम्नवत् है:–

क्र0	प्रश्नावली	संवर्ग	पदनाम एवं वेतन स्तर	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अपने विभाग में कितने संवर्ग है, संवर्गवार किस–किस स्तर का पद स्वीकृत है ?	1. बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग।	शोध पदाधिकारी, वेतन स्तर–7 मूल कोटि एवं प्रोन्नति पद सहित कुल पदों की संख्या।	5
		2. बिहार सचिवालय लिपिकिय सेवा संवर्ग	1. निम्नवर्गीय लिपिक, वेतन स्तर–2 मूल कोटि एवं प्रोन्नति पद सहित कुल पदों की संख्या।	63
		3. कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) सेवा संवर्ग।	1. कार्यालय परिचारी कोटि–IV मूल कोटि एवं प्रोन्नति पद सहित कुल पदों की संख्या।	72
2.	संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान है अथवा नहीं, यदि है तो क्या है ?	बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग।	1. शोध पदाधिकारी (वेतन स्तर–7)	3
			2 उप राज्य सम्पादक (वेतन स्तर–9)	1
			3. संयुक्त राज्य सम्पादक (वेतन स्तर–11)	1
		बिहार सचिवालय लिपिकिय सेवा संवर्ग।	1. निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–2)	32
			2 उच्चवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर–4)	31
		कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) सेवा संवर्ग।	1. कार्यालय परिचारी कोटि–IV (मूल कोटि)	36
			2. कार्यालय परिचारी कोटि–III (वेतन स्तर–2)	21
			3. कार्यालय परिचारी कोटि–II (वेतन स्तर–3)	11
			4. कार्यालय परिचारी कोटि–I (वेतन स्तर–4)	04
3.	सभी पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनी है या नहीं बनी है तो नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद अथवा अधिनियम के तहत बनी है ?	अनुच्छेद 309 के तहत बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी संवर्ग हेतु नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनायी गई है। (पृष्ठ–222–218/प0) शेष सभी संवर्ग के पदों पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में की जाती है तथा नियमावली भी सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से बनाई गई है।		

सं0–03/स्था0 विविध (पीत–पत्र)–05/22–659 (3)/रा0

पीत पत्र के बदले में।

दिनांक 04 नवम्बर, 2024

विभागीय पीत–पत्र संख्या 1151(10A), दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 2715, दिनांक 08 अगस्त, 2024 के संदर्भ में बिहार विधान सभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 14 नवम्बर, 2024 की बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के निमित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रशाखा–03 (क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना) से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

1. प्रशाखा–03 के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, अंचल अधिकारी एवं समकक्ष, भूमि सुधार उप–समाहर्ता एवं समकक्ष, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष तथा अपर समाहर्ता, भू–हदबंदी का पद स्वीकृत है।

2. बिहार राजस्व सेवा संवर्ग में प्रोन्नति के पद सोपान के अन्तर्गत कुल स्वीकृति पद में नियमानुसार राजस्व अधिकारी एंव समकक्ष, ग्रेड से अंचल अधिकारी एवं समकक्ष, अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड से भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष, भूमि सुधार उप–समाहर्ता एवं समकक्ष, ग्रेड से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड से अपर समाहर्ता भू–हदबंदी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति दी जाती है।

3. बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली–2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) प्रवृत्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत बनी है।

4. उक्त नियमावली किसी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गठित न कर संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर गठित किया गया है।

कुन्दन कुमार,
प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–03

प्रशाखा पदाधिकारी
प्रशाखा–10 ए

सं0–04 / क्षे0स्था0 विविध पत्राचार (मु0)–03–03 / 2024–548(4) / रा0

<u>पीत पत्र के बदले में।</u>

दिनांक 04 नवम्बर, 2024

विभागीय पीत–पत्र संख्या 664(10A), दिनांक 23 अगस्त, 2024 एवं कतिपय पीत–पत्र द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 2715, दिनांक 08 अगस्त, 2024 के संदर्भ में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 14 नवम्बर, 2024 की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय का निमित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रशाखा–04 (क्षेत्रीय अराजपत्रित स्थापना) से संबंधित प्रतिवेदन निम्न है:–

1. प्रशाखा–04 अन्तर्गत दो संवर्ग यथा–राजस्व कर्मचारी संवर्ग एवं अमीन संवर्ग है, उक्त संवर्ग के अनतर्गत क्रमशः अंचल स्तर पर राजस्व कर्मचारी का पद तथा अनुमण्डल एवं अंचल स्तर पर अमीन का पद स्वीकृत है।

2. राजस्व कर्मचारी संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान है। स्नातक योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को राजस्व अधिकारी संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 25 प्रतिशत प्रोन्नति हेतु आरक्षित है। जबकि अमीन संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान नहीं है।

3. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली–2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) प्रवृत्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत बनी है।

4. उक्त नियमावली किसी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गठित न कर संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर गठित किया गया है।

इन्दु कुमारी,
उप–सचिव।

अपर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा–10A

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना

क्र0	प्रश्नावली	संवर्ग	पदनाम एवं वेतन स्तर	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आपके विभाग में कितने संवर्ग है, संवर्गवार किस–किस स्तर का पद स्वीकृत है ?	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपकीय संवर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) वेतन स्तर–2	48
			उच्चवर्गीय लिपिक (प्रथम प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–4	
			प्रधान लिपिक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–6	
			सहायक प्रशासी पदधीकारी (तृतीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–7	
		बिहार राजस्व लिपकीय संवर्ग (बंदोबस्त कार्यालय हेतु)	निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) वेतन स्तर–2	364
			उच्चवर्गीय लिपिक (प्रथम प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–4	
			प्रधान लिपिक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–6	
			कार्यालय अधीक्षक (तृतीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–7	
2	संवर्ग में प्रोन्नति का पद सोपान है अथवा नहीं, यदि है तो क्या है ?	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपकीय संवर्ग	उच्चवर्गीय लिपिक (प्रथम प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–4	15
			प्रधान लिपिक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–6	07
			सहायक प्रशासी पदधिकारी (तृतीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–7	02
		बिहार राजस्व लिपकीय संवर्ग (बंदोबस्त कार्यालय हेतु)	उच्चवर्गीय लिपिक (प्रथम प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–4	80
			प्रधान लिपिक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–6	31
			कार्यालय अधीक्षक (तृतीय प्रोन्नति स्तर) वेतन स्तर–7	09
3	सभी पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनी है या नहीं, बनी है तो नियमावली संविधान के किस अनुच्छेद अथवा अधिनियम के तहत बनी है ?	(1) भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के तहत बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के लिपिकीय पदों पर भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्तो नियमावली बनायी गयी है। (2) भारत संविधान के अनुच्छेद –309 के तहत के बन्दोबस्त एवं चकबंदी कार्यालयोंके लिपिकीय संवर्गों के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो हेतु नियमावली बनायी गयी है।		
4	नियमावली सदन पटल पर रखी गयी अथवा नहीं रखी गई तो उसकी तिथि और नहीं रखी गई तो उसका औचित्य क्या है ?			

अनुलग्नक–'ज'

पत्रांक 4/क्षे0 स्था0 विविध पत्राचार (मु0)–03–03/2024–537(4)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व <u>एवं भूमि सुधार</u> विभाग

प्रेषक

अनिल कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 (ई0)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग––विभागीय पत्रांक–460(4), दिनांक 11 सितम्बर, 2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक, बिहार विधान सभा के पत्रांक 2716, दिनांक 08 अगस्त, 2024 के संदर्भ में बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त समिति के विचारार्थ प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन की माँग की गयी है, संबंधित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण बिहार विधान सभा को समेकित प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका है। विविद हो कि दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक आयोजित है, समिति निम्नांकित बिन्दुओं पर राज्य के सभी विभागों से प्रतिवेदन की अपेक्षा रखती है:–

1. किस अधिनियम/नियमावली की किस धारा/नियम के तहत किसी कर्मी का वेतन बंद किया जाता है तथा उसकी प्रक्रिया क्या निर्धारित है ?

2. दिनांक 01 जुलाई, 2023 से दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक सभी जिलों/अनुमंडलों में किन–किन पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन बंद किया गया और वेतन बंद करने का आधार क्या रहा है ?

3. वेतन बंद करने से पहले कोई जाँच करायी गयी या नहीं और जाँच का फलाफल क्या रहा ?

उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारी/अमीन जिला स्तरीय संवर्ग हैं, जिसका नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता हैं, समाहर्ता द्वारा उक्त कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाता है। विभाग स्तर पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रासंगिक पत्र के संबंध में पुनः अनुरोध है कि राजस्व कर्मचारी/अमीन से संबंधित वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
अनिल कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–'ट'

सं0–06–30 / 2024–7196 / रा0

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला राजस्व शाखा)

प्रेषक

अपर समाहर्ता

नालन्दा।

सेवा में

अपर सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार, पटना।

दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय––दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग––भवदीय पत्रांक 1148, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एंव प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन भूमि सुधार उप–समाहर्ता, हिलसा के पत्रांक 2613 / रा0, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 एवं अंचल अधिकारी, थरथरी के पत्रांक 1549, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 से प्राप्त हुआ है (छायाप्रति संलग्न), जिसके आधार पर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

बिन्दु––नालन्दा जिला के थरथरी अंचल से GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

अद्यतन प्रतिवेदन––GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 से प्राप्त आवेदन के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत परिमार्जन गोपाली मिस्त्री से संबंधित है। मूल पंजी–II के अनुसार जमाबन्दी ऑनलाइन में दर्ज है, जिसका नियमानुसार निष्पादन कर दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्न––यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ह0) अस्पष्ट,

अपर समाहर्ता,

नालन्दा।

पत्रांक–2613 / रा0

कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता,

हिलसा (नालन्दा)।

प्रेषक

भूमि सुधार उप–समाहर्ता,
हिलसा (नालन्दा)।

सेवा में

अपर समाहर्ता,
नालन्दा।

दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय––दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 1148, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, थरथरी के पत्रांक 1549, दिनांक 13 नवम्बर, 2024 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है (छायाप्रति संलग्न)। जो निम्नवत् है:–

प्रश्न—थरथरी अंचल से संबंधित GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 थरथरी अंचल से संबंधित से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर—GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 से प्राप्त आवेदन के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत परिमार्जन गोपाली मिस्त्री से संबंधित है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मूल पंजी–02 के अनुसार जमाबन्दी ऑनलाइन में दर्ज है। जिसका निमयानुसार निष्पादन कर दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्न––यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
भूमि सुधार उप–समाहर्ता,
हिलसा (नालन्दा)।

पत्रांक–1549/रा0

कार्यालय, अंचल अधिकारी, थरथरी (नालन्दा)

प्रेषक

अंचल अधिकारी,

थरथरी।

सेवा में

भूमि सुधार उप–समाहर्ता,

हिलसा।

दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय––दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 1148, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है जिसके आलोक में प्रतिवेदन निम्नांकित है:–

प्रश्न—थरथरी अंचल से संबंधित GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।

उत्तर—GRIEVANCE ID NO. 24012389006458 से प्राप्त आवेदन के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत परिमार्जन गोपाली मिस्त्री से संबंधित है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मूल पंजी 2 के अनुसार जमाबंदी ऑनलाइन में दर्ज है। जिसका नियमानुसार निष्पादन कर दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

(ह0) अस्पष्ट,

अंचल अधिकारी,

थरथरी।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 1 पृष्ठ संख्या : 120 जमाबन्दी संख्या : 235 कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 209138800001543

जिला का नाम : Nalanda अनुमंडल नाम : Hilsa अंचल का नाम : Tharthari हलका का नाम : कचहरिया

मौजा का नाम : कचहरिया होल्डिंग संख्या : N/A तौजी संख्या : 0 थाना नंबर : 198

गोपाली मिस्त्री , पिता/पति/अनु -तेतर मिस्त्री, जाति- N/A

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
16	366	0 ए 3.6 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
17	704	0 ए 0 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
17	609	0 ए 8 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
121	1463	0 ए 9.25 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
209	1059	0 ए 9.5 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
16	0	0 ए 9 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
17	725	0 ए 14.5 डि 0 है	पू: प: उ: द:	n/a	10	0
	कुल परिमान	0 ए 53.75 डि 0 है				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
1900-01-01		2014	2015	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण

Sl No	Case No	Halka	Khata No	Plot No	Applicant Name	Application Date	Status
1205	1069 / 2019 - 2020	5	17	704	SONI DEVI	04/02/2020	Correction Slip generated
3093	1587 / 2020 - 2021	5	17	218	BHATU BIND	18/01/2021	Correction Slip generated

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे

परिशिष्ट–7

सं0–प्र0–1–16 / 2024–547

बिहार राज्य आवास बोर्ड

प्रेषक

सचिव,

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

सेवा में

निदेशक,

बिहार विधान सभा,

बिहार, पटना।

दिनांक 06 फरवरी, 2025 (ई0)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, का पत्रांक 3835, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक 16, दिनांक 07 जनवरी, 2015 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण हेतु माँगी गयी वांछित प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

प्रश्न––(7) (क) मुजफ्फपुर के कांटी अंचल के ग्राम–दामोदरपुर (396) खाता नं0–362, खेसरा नं0–356 बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित हुई। कांटी अंचल में वाद संख्या–53459 आर–27 / 2021–22 के माध्यम से दाखिल–खारिज के लिए जब आवेदन दिया गया तो अंचल स्तर पर कहा गया कि आवास बोर्ड फी–होल्ड के जमीन का दाखिल–खारिज इस कारण नहीं हो सकता है कि क्योंकि उसमें जमाबंदी नहीं है जबकि मुजफ्फरपुर जिला द्वारा भू–अर्जन से संबंधित प्रकाशित गजट नं0–29, दिनांक 01 नवम्बर, 1975 (प्रति संलग्न) में सभी सूचनाएँ दी गयी है। इस पर विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय कि आवास बोर्ड के फी–होल्ड भूमि का अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज क्यों नहीं किया गया है ? अब इस पर वर्तमान में कौन–सी कार्रवाई की जानी चाहिए। आवंटी के परेशानी के लिए कौन–कौन जिम्मेवार है। भू–अर्जन के पूर्व रैयत के जमाबंदी के आधार पर दाखिल–खारिज क्यों नहीं हो सकता है ?

(ख) बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा फी–होल्ड जमीन आवंटित करते है तो आवास बोर्ड द्वारा पहले जमीन का दाखिल–खारिज क्यों नहीं कराय गया ?

(ग) बिना जमाबंदी के जमीन आवंटित करने से संबंधित आवास बोर्ड का क्या नियम है ?

उत्तर––(क) आंशिक स्वीकारात्मक। बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के

ग्राम–दामोदरपुर (396) में आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित 24.03 एकड़ भूमि के दाखिल–खारीज हेतु मुजफ्फरपुर के कार्यपालक अभियंता के द्वारा पत्रांक 171, दिनांक 16 जून, 2020 से सभी वांछित कागजात अंचलाधिकारी, कॉंटी के हस्तगत कराते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड के पक्ष जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही प्रमंडल स्तर से स्मार–पत्र यथा पत्रांक 251, दिनांक 01 सितम्बर, 2020, पत्रांक 385, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021, पत्रांक 410, दिनांक 25 नवम्बर, 2021, पत्रांक 248, दिनांक 24 जुलाई, 2023 एवं पत्रांक 317, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 भी दिया गया है।

पुनः बोर्ड के पत्रांक 360, दिनांक 22 जनवरी, 2025 द्वारा अंचलाधिकारी, कॉंटी, मुजफ्फरपुर को दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड हेतु अर्जित 24.03 एकड़ भूमि का दाखिल–खारिज कायम करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु आदिनांक अंचलाधिकारी की ओर से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्गत पत्र संख्या 1319, दिनांक 20 मई, 2024 एवं पत्रांक 834, दिनांक 28 जून, 2024 के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित भू–खण्डों के जमाबंदी कायम करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) कंडिका–7 (क) में उत्तर निहित है। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित भू–खण्डों की जमाबंदी कायम करने हेतु लगातार संबंधित अंचलाधिकारी से अनुरोध किया जाता रहा है, जिसके क्रम में वर्तमान में आशिकपुर सासाराम, जितवारपुर समस्तीपुर एवं बरारी भागलपुर में जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के पक्ष में कायम है। शेष अन्य जगहों के जमाबंदी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

(ग) बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा अर्जित भू–खण्डों पर विभिन्न आवासीय कॉलोनियों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण संबंधित जिला के भू–अर्जन पदाधिकारी के माध्यम करते हुए आवास बोर्ड को हस्तगत कराया गया है, परन्तु उक्त अधिग्रहित भू–खण्डों का जमाबंदी कायम नहीं हो सका।

अधिग्रहित जमीन का विकास हेतु बोर्ड के द्वारा एक ले–आउट प्लान तैयार कर बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार), नियमावली–1983 के प्रावधानों के आलोक में संपदाओं के आवंटन का निस्तार किया जाता है।

कृपया प्रश्नोत्तर स्वीकार किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
सचिव।

सं0–4 / मू0आ0–47 / 2022–360

बिहार राज्य आवास बोर्ड

सेवा में

अंचलाधिकारी,
काँटी, (मुजफ्फरपुर)।

दिनांक 22 जनवरी, 2025 (ई0)।

विषय––दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित 24.03 एकड़ भूमि का दाखिल–खारिज करने के संबंध में।

प्रसंग––कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, मुजफ्फरपुर प्रमंडल के कार्यालय का पत्रांक 129, दिनांक 27 मई, 2024, पत्रांक 317, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023, पत्रांक 248, दिनांक 24 जुलाई, 2023, पत्रांक 410, दिनांक 25 नवम्बर, 2021, पत्रांक 385, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021, पत्रांक 251, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 एवं 171, दिनांक 16 जून, 2020 तथा बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 16, दिनांक 07 जनवरी, 2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड के सम्पदाओं का फ्री–होल्ड किये जाने हेतु वर्ष 2017 में (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के आलोक में आवास बोर्ड द्वारा अपने आवंटित सम्पदाओं का आवंटियों के पक्ष में फ्री–होल्ड निष्पादित कर रहा है। आवास बोर्ड द्वारा आवंटित सम्पदाओं जिसका फ्री–होल्ड किया जा चुका है, का Right, Title and Possession आवंटी को स्वतः स्थानान्तरित हो जाता है। ऐसी स्थित में ऐसे आवंटियों (जिनका फ्री–होल्ड हो चुका हो) से अपने फ्री–होल्ड निष्पादित हुए सम्पदाओं का दाखिल–खारिज किये जाने हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में नियमानुसार दाखिल–खारिज की कार्रवाई निष्पादित की जा सकती है एवं इसकी सूचना बिहार राज्य आवास बोर्ड को दी जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
भू–सम्पदा पदाधिकारी।

पत्रांक–129

बिहार राज्य आवास बोर्ड

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
बिहार राज्य आवास बोर्ड,
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

सेवा में

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

दिनांक 27 मई, 2024 (ई0)।

विषय––बिहार राज्य आवास बोर्ड, मुजफ्फरपुर प्रमंडल अन्तर्गत दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर स्थित मुजफ्फरपुर में अर्जित भूमि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड, मुजफ्फरपुर प्रमंडल अन्तर्गत दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर स्थित मुजफ्फरपुर में अर्जित भूमि के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चरणों में अर्जित/अधिग्रहित भूमि से संबंधित निम्नांकित अभिलेख दस्तावेज की सत्यापित प्रति अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कंडिकावार वांछित अभिलेख/दस्तावेजों की सूची निम्नवत् है:–

(1) भूमि संबंधी मूल अर्जन प्लान (सर्वे नक्शा सहित)
(2) मूल गजट अधिसूचना एवं गजट अधिघोषणा की प्रति।
(3) उक्त अर्जित भूमि संबंधी रकबावार विवरणी।
(4) उक्त अर्जित भूमि संबंधी खेसरा पंजी।
(5) उक्त भूमि के विरूद्ध भुगतान हेतु तैयार मूल्यांकन खतियान।
(6) उक्त अर्जित भूमि के विरूद्ध अंतिम रूप में Approved एवार्ड भुगतान की प्रति।
(7) उपर्युक्त अर्जन के विरूद्ध पंचाटियों (Awardees)/लाभार्थियों के भुगतान संबंधी प्रमाणिक दस्तावेज।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता।

जिला गजट

[illegible]

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

२४ फाल्गुन १८९६ (श०)

संख्या १४ (मुजफ्फरपुर), रविवार १६ मार्च १९७५

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएं, घोषणाएं एवं स्थानीय सूचनाएं

विषय-सूची

	पृष्ठ
भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएं ...	[illegible]
भू-अर्जन संबंधी घोषणाएं ...	[illegible]
स्थानीय सूचनाएं आदि ...	

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर।

३१ जनवरी १९७५ [illegible]

घोषणा

संख्या १९ दिनांक ३-३-७५ पु० दि० भवर समाहर्ता मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम मोहम्मदपुर [illegible], थाना [illegible], थाना नं० ६५ परगना [illegible], जिला मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ [illegible] योजनान्तर्गत [illegible] निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर इसकी तत्काल आवश्यकता है। इसलिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव मोहम्मदपुर [illegible], थाना नं० ६५ के अंदर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो माप में [illegible] करीब ०-१६ एकड़ के बराबर होगा है जिसका ब्योरा नीचे निम्नांकित है:—

खाता नं० और प्लौट संख्या:—प्लौट संख्या ८२७, ८३१, ८३२, ८३३।

चौहद्दी निम्नप्रकार है —

उत्तर:— [illegible]

पूरब:— [illegible] प्लौट संख्या ८२३, ८२१, ८३१, ८३० ।

दक्षिण:— [illegible] संख्या ८२० ।

पश्चिम:— [illegible] संख्या ८२१, ८२६, ८२५ ।

भूमि या भूमि के [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] कार्य के लिये [illegible] [illegible] आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा [illegible] के [illegible] (१) के उपबंधों के अधीन [illegible] की [illegible] है, जिनका [illegible]।

भूमि का नक्शा विशेष [illegible] मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

[illegible]
[illegible] मुजफ्फरपुर।

घोषणा

संख्या [illegible] दिनांक [illegible] चूंकि [illegible] मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि [illegible] थाना [illegible] जिला मुजफ्फरपुर [illegible] योजनान्तर्गत [illegible] के निर्माण के [illegible] जमीन की [illegible] उपर्युक्त [illegible] निर्दिष्ट है। जो [illegible] जिसका [illegible] निम्नांकित है:—

प्लौट संख्या [illegible] ग्राम [illegible] जिला मुजफ्फरपुर [illegible]

[illegible] लगभग [illegible] एकड़ [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]:—

[illegible]— [illegible]

[illegible] — [illegible] १२८।

[illegible]:— [illegible]

पश्चिम:— [illegible] एवं [illegible]

भूमि या भूमि में किसी [illegible] [illegible] के [illegible] कार्य के लिये भूमि [illegible] आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

[illegible] (अंश)

पश्चिम :— [illegible] १२७४ [illegible]

दक्षिण :— [illegible]

पूरब :— [illegible]

[illegible] :— [illegible] ३३% ।

यह [illegible] १९६४ [illegible] के अधीन ([illegible] बिहार [illegible] ११ [illegible] १९६१ [illegible]) [illegible] के लिए [illegible] की जाती है। जिसका [illegible] है।

[illegible] भूमि का नक्शा [illegible] मुजफ्फरपुर के [illegible] में देखा जा सकता है।

[illegible] मुजफ्फरपुर [illegible] पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर [illegible] बिहार [illegible] के लिए [illegible] करता है। [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर

अधिसूचना

[illegible] दिनांक [illegible] से [illegible] मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम [illegible] थाना मुजफ्फरपुर थाना नम्बर [illegible] परगना [illegible] जिला मुजफ्फरपुर में [illegible] प्रयोग [illegible] परियोजना [illegible] तथा नगर विकास [illegible] बिहार राज्य, आवास बोर्ड के खर्चे पर लगभग [illegible] द्वारा [illegible] है [illegible] कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ [illegible] मुजफ्फरपुर [illegible] भूमि [illegible] अपेक्षित है [illegible] २४-१८ [illegible] है [illegible] निम्नलिखित [illegible] है :—

[illegible] खेसरा नं०— १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २४, २५, २८, २९, ३०, ३१, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६ [illegible] ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२,

[illegible] ३५८, ३०७, ३५८, ३०८, ३८६, ३०८, ४०१, [illegible]

मौजा ग्राम [illegible] नं० ३६६

[illegible]—[illegible]

[illegible]—[illegible]

[illegible]— [illegible]

[illegible]

यह अधिसूचना भूमि-अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के उपबंधों के अधीन [illegible] बिहार अधिनियम [illegible] द्वारा संशोधित [illegible] सभी [illegible] के लिए जारी की जाती है [illegible]

उक्त भूमि का नक्शा [illegible] भू-अर्जन पदाधिकारी [illegible] मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता [illegible] भूमि-अर्जन [illegible] मुजफ्फरपुर और उनके [illegible] तथा कार्यपालक अभियंता, [illegible] के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (२) में यथा उपबन्धित या विनिर्दिष्ट अन्य कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

इस अधिसूचना के उपरोक्त गांव में स्थानीय प्रकाशन की तारीख अथवा इसका प्रति तामील होने के ३० दिनों के भीतर (दोनों में जो बाद में हो उस तिथि से) धारा ५ क के अन्तर्गत हित सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को संबोधित (भूमि-अर्जन [illegible] मुजफ्फरपुर के कार्यालय में दाखिल की गयी) भूमि सम्बन्धी आपत्तियों पर विचार किया जायगा।

ह० [illegible]
अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर।

समाहर्ता मुजफ्फरपुर द्वारा प्रकाशित [illegible] मुद्रणालय द्वारा मुद्रित।

Acquisition Plan for B.S.H.D. at Village-
Damodharpur.

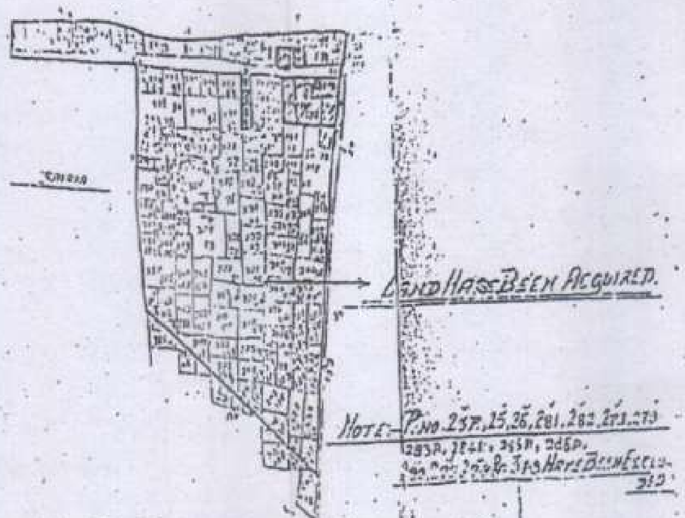

...DULE OF LAND:-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sq. Area		Remarks
1	2	3	4	5	6		7
				396	23	93	
				Total	23	05	

[illegible]

पत्रांक—251

बिहार राज्य आवास बोर्ड

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
बिहार राज्य आवास बोर्ड,
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

सेवा में

अंचलाधिकारी,
कॉंटी अंचल, कॉंटी,
मुजफ्फरपुर।

दिनांक 01 सितम्बर, 2020 (ई0)।

विषय——दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित 24.03 एकड़ भू–खंड का दाखिल–खारिज करने के संबंध में।

प्रसंग——इस कार्यालय का पत्रांक 171, दिनांक 16 जून, 2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में 24.03 एकड़ अर्जित भूमि का दाखिल–खारिज करने हेतु प्रमंडल के पत्रांक 171, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 18 जून, 2020 को हस्तगत कराया गया है परन्तु अभीतक अपेक्षित कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त भू–खंड का दाखिल–खारिज बिहार राज्य आवास बोर्ड है के नाम शीघ्र करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता।

पत्रांक–317

बिहार राज्य आवास बोर्ड

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
बिहार राज्य आवास बोर्ड,
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

सेवा में

अंचलाधिकारी,
काँटी, मुजफ्फरपुर।

दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

विषय––दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित 24.03 एकड़ भूमि का दाखिल–खारिज करने के संबंध में।

प्रसंग––इस कार्यालय का पत्रांक 171, दिनांक 16 जून, 2020, पत्रांक 251, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 एवं पत्रांक 385, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक 410, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 एवं पत्रांक 248, दिनांक 24 जुलाई, 2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में प्रासंगिक पत्रों का कृपया निदेश करें। उक्त पत्रों के माध्यम से अनेकों बार बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित 24.03 एकड़ भूमि का दाखिल–खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु दाखिल–खारिज के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि उक्त भू–खंड का दाखिल–खारिज बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम यथाशीघ्र करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता।

के परिवारों के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के वैसे बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमीन की बंदोबस्ती लेते हैं, के साथ सशुल्क आधार पर सलामी एवं पूंजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से किसी विभाग/संस्था को प्राप्त हुई भूमि की बंदोबस्ती।

(3) विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण एवं सतत् लीज।

3. राजस्व विभागीय पत्रांक 636, दिनांक 12 मार्च, 1991 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार आदि के कार्यालय भवन/आवासीय भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क आधार पर सरकारी भूमि के स्थायी हस्तान्तरण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थानों (राज्य में सड़क परियोजना हेतु NHAI को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के वैसे बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार जो लाभ कमाने के के उद्देश्य से जमीन की बंदोबस्ती लेते हैं, के साथ प्रचलित बाजार दर (MVR दर) पर सलामी एवं सलामी के दो प्रतिशत (आवासीय प्रयोजन) या पाँच प्रतिशत (व्यावसायिक प्रयोजन) के 25 गुना पूँजीकृत मूल्य के रूप में भुगतान पर सरकारी भूमि के स्थायी बंदोबस्ती का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आधार पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उपरान्त आदेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता रहा है। उक्त क्रम में भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए राजस्व विभागीय संकल्प पत्रांक 359, दिनांक 19 मई, 2014 के द्वारा 03 एकड़ तक सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की शक्ति समाहर्ता को एवं 03 एकड़ से अधिक परन्तु 05 एकड़ तक प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित भी की गई है। इस प्रकार समाहर्ता/प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से भी भूमि हस्तान्तरण के स्वीकृत्यादेश भी निर्गत किये जा रहे हैं।

4. राजस्व विभागीय पत्रांक 3848/रा0, दिनांक 05 मई, 1951, पत्रांक 6963, दिनांक 25 सितम्बर, 1953, पत्रांक 3881/रा0, दिनांक 22 मई, 1954, पत्रांक 2071/रा0, दिनांक 19 मार्च, 1955, पत्रांक 1962/रा0, दिनांक 11 मार्च, 1957, पत्रांक 8401/रा0, दिनांक 13 सितम्बर, 1960, पत्रांक 1479/रा0, दिनांक 21 फरवरी, 1964, पत्रांक 1263 (6), दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 के आलोक में पूर्व से अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (सुयोग्य श्रेणी) के परिवारों को साथ भूमि बंदोबस्ती एवं पत्रांक 1946/रा0, दिनांक 23 मार्च, 1963 तथा पत्रांक 4725/रा0, दिनांक 16 अगस्त, 1972 द्वारा सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की जाती है।

5. इस प्रकार सरकारी भूमि का हस्तान्तरण/बंदोबस्ती विभिन्न मामलों में अनुमंडल पदधिकारी/समाहर्ता/प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से एवं कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उपरान्त विभाग के स्तर से आदेश निर्गत किये जाते हैं।

6. **उल्लेखनीय है कि बिहार भूमि दालिख–खारिज अधिनियम, 2011 के अध्याय–3 की धारा–4(3) एवं नियमावली–2012 की नियम–4(2)** में भी उल्लेखित है कि लोक भूमि की बंदोबस्ती, अंतरण, समनुदेशन (Assignment) के संबंध में अंतिम आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित है, को आदेश की सूचना विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–VII)** (संलग्न) में उपलब्ध करायेगा।

7. उपर्युक्त आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी भूमि को अन्तरण/बन्दोबस्ती अथवा सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश की प्रति एवं विहित प्रपत्र–VII में वांछित सूचनायें संबंधित अंचल अधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त सूचना का सम्प्रेषण निर्बाध रूप से करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उक्त माध्यमों से अंतरित सरकारी भूमि के दाखिल–खारिज हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आयुक्त, समाहर्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बिहार भूमि पोर्टल अंतर्गत दिए गए लिंक 'सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज' के अंतर्गत Annexure-1 (प्रति संलग्न) में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए सूचना संबंधित अंचल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

9. संबंधित अंचल अधिकारी, ऑनलाइन जमाबंदी सृजित करने हेतु ई–जमाबंदी मॉडयूल के अंतर्गत <u>**Annexure-2**</u> में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए दाखिल–खारिज/जमाबंदी सृजित करेंगे (सुलभ प्रसंग हेतु Annexure-2 की छायाप्रति संलग्न)।

10. उपरोक्त प्रक्रिया का क्रियान्वयन ससमय करने हेतु निम्न प्रकार की व्यवस्था एवं समय–सीमा का प्रावधान किया जा रहा है:–

(क) सभी प्राधिकार अर्थात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, समाहर्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से login बना दिया गया है जिसकी सूचना आपको अलग से दी जा रही है। ये सभी प्राधिकार उनके कार्यालय में उपलब्ध जमीन के अंतरण/बन्दोबस्ती/भू–अर्जन से संबंधित मामलों के संबंध में अनुलग्नक–1 में दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक आदेश/कागजात अभियान चलाकर दिनांक 30 जून, 2024 तक अपलोड कर देंगे।

(ख) अधियाची विभाग के पास अंतरण/बन्दोबस्ती/भू–अर्जन के उपलब्ध कागजातों के आधार पर वे अपने स्तर से भी संबंधित प्राधिकार जिनके स्तर से आदेश निर्गत हुआ है, के कार्यालय में संपर्क कर उनके माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु सूचना अपलोड करवाने में सहायता करेंगे एवं उनके विभाग से संबंधित सभी अंतरणों की सूचना अपलोड हुई या नहीं, इस पर निगरानी रखेंगे।

(ग) सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी भूमि के दाखिल–खारिज हेतु इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर एवं निर्धारित अवधि के अन्दर निष्पादित किया जाय एवं यह भी निगरानी रखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हल्का कर्मचारी अथवा राजस्व पदाधिकारी के स्तर पर निर्धारित अवधि से ज्यादा कागजात लंबित ना रहे। सरकारी जमीन की दाखिल–खारिज की समीक्षा संबंधित समाहर्ता/अनुमण्डल पदाधिकरी/भूमि सुधर उप–समाहर्ता द्वारा अलग से की जायेगी ताकि यह प्रक्रिया ससमय पूरी हो जाये।

(घ) अभियान बसेरा अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के साथ वासभूमि की बंदोबस्ती गैर–मजरूआ आम श्रेणी की भूमि के मामलों में समाहर्ता द्वारा तथा अन्य श्रेणी की भूमि के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है परंतु अभिलेख अंचल कार्यालय में संधारित रहता है। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी संबंधित परवाना की प्रति एवं अन्य विहित सूचना/बंदोबस्त प्रमाण–पत्र समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के Login से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

11. उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है या ऐसा कोई विशेष मामला हो जो उपरोक्त से आच्छादित ना होता हो अथवा जिसका उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दाखिल–खारिज करना एवं संबंधित विभाग/उपक्रम के नाम से जमाबंदी कायम करना संभव नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए संबंधित प्राधिकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अलग से मार्गदर्शन ले लेंगे ।

कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का ससमय क्रियान्वित कराने पर समुचित निगरानी रखी जाय एवं इसका नियमित रूप से, कम–से–कम साप्ताहिक तौर पर अनुश्रवण किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
जय सिंह,
सचिव।

ANNEXURE-1

सक्षम प्राधिकार द्वारा भू–अर्जन, सतत् लीज, भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज हेतु सूचना पेषित करने की प्रक्रिया –

1. ऑनलाइन पोर्टल खोलें तथा "सरकारी भूमि नामांतरण" लिंक पर क्लिक करें।

2. राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया user credentials का उपयोग कर पोर्टल में लॉगिन करें।

3. लॉगिन के उपरांत Govt. Land Mutation मेनू के अंतर्गत sub-menu Apply New Case पर क्लिक करें।

4. Apply New Case पर क्लिक करने के उपरांत भू–अर्जन, सतत् लीज, भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज सूचना प्रेषित करने का प्रपत्र खुलेगा, जिसमें उत्तरदायी प्राधिकार द्वारा वांछित सूचना भरा जायेगा।

5. सर्वप्रथम अंतरित भूमि प्राप्त करने वाले का प्रकार यथा–1. संस्थान या 2. व्यक्ति चुनना होगा।

6. उसके उपरांत संस्थान या व्यक्ति का विवरण भरना होगा ।

7. संस्थान या व्यक्ति का विवरण भरने के उपरांत अंतरित की जानी वाली भूमि का विवरण यथा अंचल, हलका, मौजा तथा उस मौजे के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा, चौहद्दी को भरना होगा।

8. अंतरित भूमि के विवरण को भरने के उपरांत अंतरित भूमि के दाखिल–खारिज हेतु संबन्धित साक्ष्य यथा–1. भू–अर्जन के मामले में –अधिघोषणा एवं पंचाट की प्रति (2) लीज के मामले में लीज–डीड की प्रति (3) हस्तान्तरण के मामले में–सक्षम प्राधिकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आयुक्त/समाहर्ता) का आदेश (4) बंदोबस्ती के मामले में–सक्षम प्राधिकार का आदेश की PDF कॉपी अपलोड करना होगा।

9. उपरोक्त सभी विवरण भरने के बाद submit बटन पर क्लिक करें। अब आपको सूचना का preview दिखाई देगा, अगर सभी विवरण सही है तो finalize बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सुधार है तो एडिट बटन पर क्लिक कर सूचना सुधार कर finalize करें।

10. Finalize होने के उपरांत सूचना अंचलाधिकारी के लॉगिन में स्वतः अग्रसारित हो जाएगी।

ANNEXURE-2

भू-अर्जन, सतत् लीज, भू-हस्तांतरण तथा भू-बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल-खारिज के निष्पादन की प्रक्रिया –

1. प्राधिकार द्वारा प्रेषित सूचना संबंधित अंचलाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Forward to KC" में दिखाई देगी। अंचलाधिकारी सूचना के अवलोकनोपरान्त इसे राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन हेतु अग्रसारित करेंगे।

2. राजस्व कर्मचारी को सूचना ई-जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "New Aplication" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो सूचना विवरण को view कर सकते हैं तथा Process पर क्लिक कर अपना प्रतिवेदन दायर करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

(A) भू-अर्जन, सतत् लीज से अन्तरिम भूमि के दाखिल-खारिज वाद से संबन्धित मामलों में राजस्व कर्मचारी को अभिलेख की जांच कर, प्रत्येक खेसरा को किस जमाबंदी के खेसरा से खारिज किया जाना है, से संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे तथा वाद के दाखिल-खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

(B) भू-हस्तांतरण तथा भू-बंदोबस्ती से अन्तरिम भूमि जिनमें सरकारी भूमि निहित है, के दाखिल-खारिज वाद से संबन्धित मामलों में राजस्व कर्मचारी अभिलेख का सत्यापन करेंगे तत्पश्चात् वाद के दाखिल-खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

3. कर्मचारी का प्रतिवेदन पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त वाद ई-जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Forward to RO" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से वो इसे राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

4. राजस्व अधिकारी को उक्त वाद ई-जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "New Aplication" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो वाद को view कर सकते हैं तथा Process पर क्लिक कर अपना प्रतिवेदन अंकित करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

(A) भू–अर्जन, सतत् लीज से अन्तरिम भूमि के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में वाद के साथ संलग्न अभिलेख की जांच कर, राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित प्रत्येक खेसरा को किस जमाबंदी के खेसरा से खारिज किया जाना है, से संबन्धित प्रतिवेदन की जांच करेंगे तथा वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

(B) भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरिम भूमि के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में वाद के साथ संलग्न अभिलेख की जांच करेंगे तथा वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

5. राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन पूर्ण होने के उपरांत उक्त वाद ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Forward to CO" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से वो इसे अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

6. अब उक्त वाद अंचल अधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Aam-Khas Suchana" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो सूचना/वाद का विवरण, KC, RO प्रतिवेदन को view कर सकते हैं तथा आम–खास सूचना निर्गत करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

7. अब उक्त अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Final Order" के अंतर्गत दिखेगी। 14 दिन तक यह वाद नोटिस पीरियड में रहेगी, इस दौरान वाद का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। 14 दिन के उपरांत अंचलाधिकारी अपना आदेश अंकित करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

8. आदेश के उपरांत वाद अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Update Reg-2" के अंतर्गत दिखेगी। जहां के वाद को Process कर update Reg-2 बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से शुद्धि–पत्र निर्गत हो जाएगी तथा रकबा पूर्व के रैयत से खारिज हो जाएगी तथा एक जमाबंदी requisitioning Authority/ Raiyat के नाम से खुलेगी तथा वाद के सभी खेसरा तथा रकबा उस जमाबंदी में इंद्रराज हो जाएगी।

9. Correction Slip generate होने के उपरांत उक्त वाद अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt. Land Mutation" के sub-Menu "Correction Slip" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से अंचलाधिकारी correction Slip के अवलोकनोपरांत उसपर डिजिटल साइन करेंगे। ऐसा करते ही वाद निष्पादित हो जाएगा।

प्रपत्र-VII

(देखें नियम-4 उप नियम-(2))

प्राधिकारी द्वारा भूमि में हित अर्जन के बारे में सूचना का प्रपत्र

क्र० संख्या	व्यक्ति जिसके द्वारा भूमि में हित अर्जित किया गया है, का नाम व पता	हित अर्जन की विधि यथा लोक भूमि की बंदोबस्ती/अंतरण/सौंपा जाना, हदबंदी से अधिशेष भूमि का वितरण, प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति को पर्चा, महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय, अर्जित भूमि का प्रत्यावर्त्तन, भूदान भूमि का अनुदान, उप रैयत को कायमी हक दिया जाना इत्यादि।	आदेश संख्या एवं तिथि	आदेश पारित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिनियम/ नियमावली/ नीति/ हस्तक/ कार्यपालक अनुदेश जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है।	आदेश का सार	भूमि के ब्यौरे					
							अंचल/ जिला	राजस्व ग्राम/ राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी

अंचल अधिकारी .... की आवश्यक कार्रवाई हेतु।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक :-

कार्यालय मुहर

तिथि-............................

पत्रांक 06/खा0 म0 (विविध) प्रतिवेदन–10/2020–834(6)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

ई–मेल/
विशेषदूत

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/बिहार सरकार।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी समाहर्ता, बिहार।

पटना 15, दिनांक 28 जून, 2024 (ई0)।

विषय––सरकारी भूमि के हस्तान्तरण संबंधी राजस्व विभागीय परिपत्रों के संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

प्रसंग––विभागीय संकल्प ज्ञापांक 359(6)/रा0, दिनांक 19 मई, 2014 एवं पत्रांक 2021(6)/रा0, दिनांक 08 दिसम्बर, 2006।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि राजस्व विभागीय पत्रांक 2021(6)/रा0, दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 द्वारा यह संसूचित है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम, 440 के अनुसार सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की कार्रवाई राजस्व भूमि सुधार विभाग को ही करनी है। प्रयोजन परिवर्तन की स्थित में भी जिस विभाग को भूमि हस्तान्तरित की गई है, उसे भी राजस्व विभाग के माध्यम से ही दूसरे प्रयोजन के लिए भूमि पुनः प्राप्त करनी होगी। सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण अथवा प्रयोजन परिवर्तन आवश्यक होने पर अधियाचना पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तथा उसकी प्रति संबंधित समाहर्ता एवं प्रमण्डलीय आयुक्त को एतदर्थ प्रस्ताव निरूपण की कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संबंधित समाहर्ता से प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए संदर्भित विभागीय संकल्प ज्ञापांक 359(6)/रा0, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। उक्त आलोक में 3.00 एकड़ तक की सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण की शक्ति समाहर्ता को एवं 3.00 एकड़ से अधिक 5.00 एकड़ तक प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित है।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ विभाग सरकारी भूमि के हस्तान्तरण हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के निमित अपने स्तर से कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मात्र सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका पृष्टांकित करते हैं, जो कि संदर्भित राजस्व विभागीय पत्रांक

2021(6)/रा0, दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 द्वारा संसूचित बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 359(6)/रा0, दिनांक 19 मई, 2014 के सदंर्भ में पुनः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण अर्थात बिहार सरकार के ही किसी विभाग को निःशुल्क आधार पर हस्तान्तरण करने की शक्ति का प्रत्यायोजन समाहर्त्ता/प्रमण्डलीय आयुक्त को की गई है। जिला/क्षेत्रीय स्तर पर उक्त विभागीय परिपत्र का संदर्भ करते हुए राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार आदि को समाहर्त्ता/प्रमण्डलीय आयुक्त के अनुमोदन से हस्तान्तरित कर दी जाती है, जबकि ऐसे मामलों में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक है।

वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 5450/वि0, दिनांक 22 जून, 2015 के द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। यह अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की श्रेणी में नहीं आंता है, ऐसी स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक है, परन्तु कुछेक मामलों में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 359(6)/रा0, दिनांक 19 मई, 2014 के प्रावधानों का संदर्भ करते हुए समाहर्त्ता के स्तर से ही भूमि हस्तान्तरण का आदेश निर्गत किया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व विभागीय प्रावधानों के आलोक में भूमि हस्तान्तरण के मामलों में नियमानुकूल कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

बि0 स0 मु0 91 (एल0 ए0)–2025–26 डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026